राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 6 तेरहवीं विधान सभा के छठे सत्र का तेईसवां दिवस संख्या: 6

बुधवार,
09 मार्च, 2011

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11:00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

सूचना
वसुंधरा राजे, श्रीमती, को नेता विधायक दल के रूप में मान्यता

श्री अध्यक्ष: मुझे सदन को सूचित करना है कि राजस्थान विधान सभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों द्वारा सर्वसम्मति से झालरापाटन (जिला झालावाड़) निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य, श्रीमती वसुन्धरा राजे को उक्त विधायक दल का नेता चुने जाने पर प्रतिपक्ष दल के नेता के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई है।

आय व्ययक अनुमान, वर्ष 20011-12 का उप-स्थापन। श्री अशोक गहलोत।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैडम का एक्सप्लेनेशन आना चाहिए कि आपको हटाया क्यों था और वापस क्यों रखा। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: कृपया शांति बनाए रखें। ...(व्यवधान)... कोई अंकित नहीं होगा। ...(व्यवधान)... कोई अंकित नहीं हो रहा। कोई अंकित नहीं हो रहा। ...(व्यवधान)...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 000 ...(व्यवधान)...

श्री कालीचरण सर्राफ (मालवीय नगर): 000 ...(व्यवधान)...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय मुख्य मंत्रीजी।

कार्यवाही वृत्तान्त में प्रयुक्त संकेताक्षर

+++: शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

000: अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

आय व्ययक अनुमान का उप-स्थापन

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 2010-11 के संशोधित अनुमान......(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: अन्य किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा।

माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): एवं वर्ष 2011-12 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूं।

2. वर्ष 2010-11 हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, हमारी सरकार की मंशा जटिल एवं उलझे हुए मुद्दों को भी शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की रही है। हमने संवाद और संचार की सतत् प्रक्रिया द्वारा सभी समुदायों के बीच समरसता बनाये रखने का प्रयास किया है। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के गंभीर मुद्दों का हमने धैर्य और समझ से निपटारा किया है। सभी पक्षों के लिए आदर और सम्मान के साथ हम ऐतिहासिक समझौते तक पहुंचे हैं। यह सब कुछ बिना जन-हानि, शांति और समरसता को बाधा पहुंचाये हासिल हुआ।

3. विकास की यात्रा में भी हमने, श्री राजीव गांधी द्वारा 73वें संविधान संशोधन द्वारा दिखाये गये निर्णायक मार्ग का अनुसरण करते हुए, पाँच विभागों के बजट, कार्य और कार्मिक (Funds, Functions and Functionaries) पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किये हैं। संविधान के 73वें संशोधन की भावनाओं के अनुरूप अन्य विभागों को भी पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। जनता का सशक्तीकरण ही हमारी सरकार का उद्देश्य है।

4. जो बजट मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं, उसकी कई महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। देश में पहली बार 'एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली' से बजट तैयार किया गया है। इस प्रणाली से बजट तैयार करने हेतु विभागों द्वारा संशोधित अनुमानों एवं बजट अनुमानों के प्रस्ताव वित्त विभाग को ऑनलाइन प्रस्तुत किये गये तथा वित्त विभाग के स्तर पर भी इन प्रस्तावों को कम्प्यूटर के माध्यम से ही अंतिम रूप दिया गया। आगामी वर्ष के दौरान इस ऑनलाइन प्रणाली के अंतर्गत कोषागार, उप-कोषागार, राजस्व और व्यय से सम्बन्धित सभी विभाग ही नहीं, बैंक एवं महालेखाकार कार्यालय भी कम्प्यूटर तंत्र से जोड़े जाएंगे। इससे 'रियल टाइम बेसिस' पर आय-व्यय के आंकड़े संकलित हो सकेंगे तथा वित्तीय प्रबन्धन में सुधार आएगा।

5. इसके अतिरिक्त, हमने बजट में योजना के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (SC/ST) घटकों हेतु, गत वर्ष की बजट घोषणा के अनुसरण में, आगामी वर्ष के बजट में क्रमश: 16.66 प्रतिशत तथा 13.02 प्रतिशत का, नोशनल फ्लो के बजाय, वास्तविक प्रावधान सम्बन्धित विभागों के बजट मदों में अलग से इंगित किया है। मैं आशा करता हूं कि इस व्यवस्था के परिणामस्वरूप हम यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि अनुसूचित जाति और

अनुसूचित जनजाति (SC/ST) के कल्याण हेतु वास्तविक व्यय निर्धारित अनुपात में किया जा रहा है।

6. एक और खास बात जो बजट के बारे में कही जा रही है, वह यह है कि पाँच विभागों के सम्बन्धित शक्तियों के हस्तांतरण के उपरान्त राशियों का आवंटन भी पंचायतीराज संस्थाओं के अधीन बजट मद में ही दिखाया गया है। यह प्रक्रिया योजना और गैर-योजना दोनों प्रावधानों के लिए अपनाई गई है। इसके पीछे मंशा यह है कि यह हस्तांतरण स्पष्ट और निर्णायक हो। इसके अतिरिक्त पंचायतीराज संस्थाओं को निर्बंध राशि (untied fund) उपलब्ध कराई जाएगी ताकि ये संस्थाएं अपनी स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें।

7. योजना आयोग ने राज्य की वर्ष 2011-12 की योजना का आकार 27 हजार 500 करोड़ रुपए निर्धारित किया था। मुझे माननीय सदस्यों को अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि हमने बजट में योजना का आकार 28 हजार 461 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया है, जो अनुमोदित योजना से 961 करोड़ रुपए अधिक है। मैं आशा करता हूं कि इस बजट से जहां एक तरफ राज्य के चहुंमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त होगा, वहीं राज्य के निर्धन एवं पिछड़े वर्गों को विकास की मुख्य धारा में शामिल होने का अवसर भी मिलेगा।

सार्वजनिक निर्माण:

8. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गांवों के अलावा बसावटों (ढाणियों) को चिह्नित कर 250 व इससे अधिक आबादी की 5 हजार 749 ढाणियों एवं मजरों को सड़कों से जोड़ने के लिए 4 हजार करोड़ रुपए से अधिक के कार्य केन्द्र सरकार से स्वीकृत करवाये गये हैं। प्रथम चरण में आगामी वर्ष 1 हजार 530 करोड़ रुपए की लागत से, 500 व इससे अधिक आबादी की 1 हजार 833 ढाणियों एवं मजरों को सड़कों से जोड़ने के कार्य प्रारम्भ किए जाएंगे।

9. राज्य के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों को सड़कों से जोड़ने के लिए 'धार्मिक सड़क योजना' के अंतर्गत आगामी दो वर्षों में 11 सौ किलोमीटर लम्बाई की सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा। इन सड़कों के निर्माण पर 280 करोड़ रुपए खर्च होंगे तथा लगभग 610 धार्मिक स्थल सड़कों से जुड़ सकेंगे।

10. माननीय सदस्यों की भावनाओं एवं उनकी मांगों को दृष्टिगत रखते हुए आगामी दो वर्षों में कुल 1 हजार 400 करोड़ रुपए राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में मिसिंग लिंक्स के निर्माण, सड़कों के सुदृढ़ीकरण, नवीनीकरण एवं रिकार्पेटिंग पर खर्च करने की मैं घोषणा करता हूं। इस महत्वाकांक्षी योजना का वित्त पोषण, नाबार्ड के ऋण एवं तेरहवें वित्त आयोग की अनुदान राशि से किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में राज्य की ग्रामीण सड़कों पर 7 करोड़ रुपए खर्च होंगे एवं 16 किलोमीटर लम्बाई के मिसिंग लिंक तथा 30 से 40 किलोमीटर सड़कों के सुदृढ़ीकरण, नवीनीकरण एवं रिकार्पेटिंग के कार्य होंगे।

ऊर्जा:

11. वर्ष 2011-12 में ऊर्जा क्षेत्र में 12 हजार 67 करोड़ रुपए का योजनागत व्यय प्रस्तावित है। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में राज्य की ऊर्जा उत्पादन क्षमता में की गई वृद्धि का उल्लेख किया गया है। वर्ष 2011-12 में राज्य क्षेत्र में 1 हजार 860 मेगावाट एवं निजी क्षेत्र में 810 मेगावाट क्षमता की वृद्धि संभावित है।

12. विद्युत वितरण कम्पनियों की सेवाओं एवं विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में और सुधार लाने की दृष्टि से O&M वृत्तों, खण्डों एवं उप खण्डों का पुनर्गठन किया जाएगा एवं इस हेतु आगामी दो वर्षों में लगभग 8 हजार 500 नवीन पदों का सृजन किया जाएगा।

13. विद्युत आपूर्ति हेतु प्रसारण तंत्र को सुदृढ करने हेतु 132 केवी के 38 ग्रिड सब-स्टेशनों का कार्य प्रगति पर है, जिनमें से 20 सब-स्टेशनों को आगामी वर्ष के दौरान स्थापित कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 132 केवी के 8 और सब-स्टेशनों का कार्य प्रारम्भ किया जाएगा। साथ ही बूंदी, नदबई (भरतपुर), तेहनदेसर (चूरू) तथा बाप (फलौदी) में 220 केवी के ग्रिड सब-स्टेशनों पर एवं अजमेर, बंबई (झुन्झुनूं), चित्तौड़गढ़, काकानी-जोधपुर, रामगढ़-जैसलमेर तथा बडला-जोधपुर में 400 केवी के ग्रिड सब-स्टेशनों पर भी आगामी वर्ष कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

14. राज्य सरकार द्वारा गत दो वर्षों में 1 लाख 52 हजार 781 कृषकों को विद्युत कनेक्शन जारी किये गये हैं। आगामी वर्ष 65 हजार किसानों को विद्युत कनेक्शन एवं 500 किसानों को सौर ऊर्जा आधारित पम्प सैट प्रदान किए जाएंगे।

15. विद्युत दुर्घटना में आम जन की मृत्यु होने पर देय अनुदान राशि 25 हजार रुपए से बढ़ाकर 2 लाख 50 हजार रुपए कर दी गई है।

16. इस वर्ष लगभग 20 हजार सोलर घरेलू प्रकाश संयंत्र स्थापित किये जा रहे हैं तथा आगामी वर्ष में भी 25 हजार सोलर घरेलू प्रकाश संयंत्र स्थापित करने की योजना है।

17. मुझे सदन को अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि लम्बे समय से की जा रही मांग को देखते हुए हमने आगे बढ़कर रतलाम से डूंगरपुर-बांसवाड़ा रेलवे लाइन के निर्माण हेतु परियोजना लागत की 50 प्रतिशत राशि एवं परियोजना हेतु अवाप्त की जाने वाली भूमि की मुआवजा राशि का 1 हजार 200 करोड़ रुपए का अंशदान रेलवे को देने का निर्णय लिया है। हमें प्रसन्नता है कि इस लाइन के निर्माण की रेलवे बजट में घोषणा भी कर दी गई है। रेलवे लाइन के निर्माण से जहां एक ओर विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा, वहीं आदिवासी जिलों में औद्योगिक एवं आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

जल संसाधन:

18. राज्य के जल संसाधन सीमित है। मौसम में बदलाव के फलस्वरूप एक ओर जल की उपलब्धता कम हो रही है तो दूसरी ओर बढ़ती जनसंख्या, जीवन शैली में बदलाव, औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण इत्यादि के कारण मांग में निरन्तर बढ़ोत्तरी हो रही है। इससे पानी की मांग व आपूर्ति में संतुलन पैदा हो गया है इसलिए हमारा प्रयास है कि

उपलब्ध जल का संरक्षण कर आपूर्ति बढ़ाई जाए और जल के बेहतर प्रबन्धन से मांग में कमी लाई जाए। इस दृष्टि से राज्य की जल नीति में उन समस्त उपायों का विस्तृत उल्लेख किया गया है जो राज्य में जल संसाधन के संकट से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आवश्यक है। अब समय आ गया है कि जल के बेहतर प्रबन्धन हेतु सुधारात्मक कदम उठाये जाएं। इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा आगामी वर्ष राजस्थान जल प्रबन्धन और नियामक प्राधिकरण गठित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राजस्थान भू-जल नियंत्रण एवं प्रबन्धन कानून बनाना भी प्रस्तावित है।

19. राज्य की भौगोलिक परिस्थिति एवं जल के महत्व को ध्यान में रखते हुए बीकानेर में Hydrology and Water Management Institute की स्थापना करने की मैं घोषणा करता हूं।

20. आगामी वर्ष में सिंचाई परियोजनाओं हेतु 715 करोड़ 97 लाख रुपए एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना हेतु 152 करोड़ 10 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

21. वर्ष 2011-12 के दौरान 5 लघु परियोजनाएं, चाकन-बूंदी, किशनपुरा लिफ्ट-कोटा, बागदरी-चित्तौड़ एवं भीखाभाई सागवाड़ा कैनाल-डूंगरपुर की दो परियोजनाएं पूर्ण की जाएंगी जिससे 4 हजार 647 हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचित क्षेत्र का विकास होगा।

22. नर्बदा नहर परियोजना के अंतर्गत आगामी वित्तीय वर्ष में 30 हजार हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा एवं लिफ्ट कमाण्ड क्षेत्र में 11 पम्पिंग स्टेशनों पर पम्प व मोटर आपूर्ति के कार्य भी प्रारम्भ करवाए जाएंगे। हमारा यह प्रयास है कि नर्बदा नहर परियोजना का कार्य वर्ष 2012-13 तक पूर्ण हो जाए।

23. Japanese International Co-operation Agency (JICA) द्वारा पोषित राजस्थान सिंचाई सुदृढ़ीकरण परियोजना का कार्य वर्ष 2010-11 में प्रारम्भ किया गया है। इस योजना के तहत 205 लघु सिंचाई (minor irrigation) परियोजनाओं के बांधों एवं नहरों का सुदृढ़ीकरण करवाया जाएगा जिससे 84 हजार 400 हैक्टेयर क्षेत्र में काश्तकार लाभांवित हो सकेंगे।

24. विश्व बैंक पोषित राजस्थान जल क्षेत्र पुन:संरचना परियोजना के अंतर्गत चम्बल दायीं मुख्य नहर, जिससे कोटा एवं बारां जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है, के सुदृढ़ीकरण के 160 करोड़ रुपए की लागत के कार्य प्रगति पर हैं जो आगामी वर्ष तक पूर्ण हो जाएंगे।

25. पंजाब स्थित इन्दिरा गांधी नहर फीडर की मरम्मत हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 952 करोड़ रुपए की योजना का कार्य आगामी वित्तीय वर्ष में शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार सरहिंद फीडर की मरम्म्त हेतु केन्द्र सरकार ने 489 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की है। राजस्थान में स्थित इन्दिरा गांधी नहर के फीडर की मरम्मत हेतु 401 करोड़ रुपए की योजना केन्द्रीय जल आयोग से स्वीकृत करवा ली गई है।

26. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण में आगामी वर्ष 2 हजार 500 हैक्टेयर क्षेत्र सिंचाई हेतु खोला जाएगा जिसमें फलौदी लिफ्ट में 1 हजार 500 हैक्टेयर, लूनार माइनर-जैसलमेर में 674 हैक्टेयर एवं गुंजनगढ़ वितरिका-जैसलमेर में 326 हैक्टेयर क्षेत्र शामिल है।

पेयजल:

27. राज्य में पेयजल की मांग निरन्तर बढ़ती जा रही है। राज्य की लगभग 91 प्रतिशत पेयजल योजनाएं भू-जल पर आधारित है किन्तु जैसा की माननीय सदस्य जानते हैं, राज्य में भू-जल की स्थिति गम्भीर होती जा रही है। राज्य के 249 में से 198 ब्लॉक डार्क जोन में आ चुके हैं। एसएमएस के बावजूद भी अच्छा मानसून आ गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): 000

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): आप खुद बोल रहे हैं या ब्रीफ लेकर बोल रहे हैं?

इस वर्ष तुलनात्मक रूप से अच्छे मानसून के बावजूद कोटा, बारां झालावाड़, बूंदी, डूंगरपुर, राजसमन्द, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, पाली एवं सिरोही जिलों में पेयजल की समस्या है। अत: राज्य सरकार ने, हैडपम्प मरम्मत, पेयजल परिवहन एवं पानी की उपलब्धता तथा आवश्यकता के अंतर के आधार पर नए स्रोत विकसित करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है। जनता को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु हर सम्भव कदम उठाए जाएंगे और इसमें धन की कमी नहीं आने दी जाएगी।

28. राज्य में वर्ष 2010-11 में दिसम्बर तक 445 अनुसूचित जाति (SC), 567 अनुसूचित जनजाति (ST) एवं 312 अल्पसंख्यकों की बस्तियों में स्वतंत्र पेयजल स्रोत स्थापित किए गए हैं। चालू वर्ष के अंत तक इन श्रेणियों की 3 हजार 414 बस्तियों को लाभांवित करने का लक्ष्य है।

29. चालू वर्ष में 6 वृहद पेयजल परियोजनाओं का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा जिनमें 89 करोड़ रुपए लागत की माणकलाव खांगटा-जोधपुर, 45 करोड़ रुपए लागत की ग्रामीण जल प्रदाय योजना गुलंडी-झालावाड़, 62 करोड़ रुपए लागत की कालीखार-झालावाड़, 124 करोड़ रुपए लागत की नागौर की मातासुख माइन्स से जायल 72 करोड़ रुपए लागत की आसपुर-डूंगरपुर तथा 33 करोड़ रुपए लागत की सरवाड़-अजमेर द्वितीय चरण योजनाएं शामिल हैं।

मोहन/चौहान/09032011/1120/1b

30. चालू वित्तीय वर्ष में ही पीपाड़ शहर को इंदिरा गांधी नगर से, टोंक शहर को बीसलपुर से, राजसमंद जिले के आमेट कस्बे को बघेरीकानाका बाँध से तथा भरतपुर शहर को बंध बरेठा बाँध से, नई पाइप लाइन बिछा कर पेयजल उपलब्ध करवा दिया जायेगा।

31. पेयजल समस्या के दीर्घकालीन समाधान हेतु इस वर्ष जयपुर शहर, शाहपुरा-जयपुर, विराटनगर, लक्ष्मणगढ़-सीकर, श्रीमाधोपुर, फुलेरा तथा मांगरोल-कोटा की योजनाएं स्वीकृत की गयीं।

32. पेयजला हेतु वर्ष, 2011-12 में राज्य योजना मद में 1 हजार 420 करोड़ रुपये का एवं केंद्रीय प्रवर्तित योजना मद में 1 हजार 200 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है, जिससे अनुसूचित जाति (sc) की 3 हजार 623 बस्तियों, अनुसूचित जनजाति (ST) की 1 हजार 112 बस्तियों, अल्पसंख्यक समुदाय की 795 बस्तियों एवं 6 हजार 73 गांवों एवं ढाणियों को विभिन्न योजनाओं से पेयजल उपलब्ध करवाया जायेगा। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में भी 839 अनुसूचित जाति व जनजाति की बस्तियों एवं मोहल्लों में लगभग 47 करोड़ रुपये की लागत से पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ की जायेगी।

33. शहरी क्षेत्रों में पुरानी लाइनों को बदलने, पंप व फिल्टर घरों के सुधार व अन्य आवश्यक कार्यों हेतु 183 कस्बों में लगभग 60 करोड़ रुपये से अधिक के कार्य स्वीकृत किये गये हैं।

34. आगामी वर्ष 5 वृहद् परियोजनाओं-बाड़मेर लिफ्ट परियोजना प्रथम चरण, केरू बेरू जोलियाली-जोधपुर, रेवा- झालावाड़, डांग-धौलपुर तथा फ्लोराइड नियंत्रण अराई-अजमेर के कार्य पूर्ण कर लिये जायेंगे। जोधपुर शहर की पेयजल योजना के पुनर्गठन का कार्य ए.एफ.डी., फ्रांस के सहयोग से प्रारंभ किया जायेगा।

35. उदयपुर शहर की जल आपूर्ति हेतु क्रियान्वित की जा रही देवास परियोजना की कुल लागत 379 करोड़ रुपये है जिसमें से अब तक 202 करोड़ रुपये का खर्चा हुआ है। इस परियोजना के लिए आगामी वर्ष में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

36. बीकानेर शहर में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 400 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के जल शोधक संयंत्र की एक अतिरिक्त इकाई के निर्माण का कार्य हाथ में लिया जायेगा, जिस पर लगभग 20 करोड़ रुपये का खर्चा आयेगा।

37. आगामी वर्ष पोकरण फलसूंड परियोजना के अंतर्गत पोकरण से बालोतरा, जवाई पाली परियोजना के अंतर्गत पाली से सोजत, अजमेर बीसलपुर परियोजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत नसीराबाद से ब्यावर तथा आपणी योजना द्वितीय चरण के अंतर्गत सुजानगढ़ तक पाइप लाइनें बिछाने का कार्य प्रारंभ किय जायेगा। इसके अतिरिक्त दूदू-बीसलपुर परियोजना के तहत आगामी गर्मियों से पहले 265 गांवों को और जोड़ दिया जायेगा।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य:

38. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संचालन और स्वास्थ्य क्षेत्र में भारी खर्चे के बावजूद जनसंख्या वृद्धि दर में समुचित कमी नहीं आ सकी है। यही स्थिति शिशु मृत्य दर और मातृ मृत्यु दर में सुधार की है। यद्यपि नवीन सर्वेक्षणें के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर शिशु मृत्यु दर में अर्जित औसत सुधार की तुलना में, राज्य में अधिक सुधार हुआ है, परंतु हम दक्षिणी राज्यों की तुलना में अभी भी लक्ष्य से काफी दूर हैं। हमें इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाने होंगे। स्वास्थ्य मानकों और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने की दृष्टि से, मैं विभिन्न योजनायें प्रस्तावित कर रहा हूं।

39. राज्य के सर्वाधिक पिछड़े 50 खंडों को चिह्नित किया गया है तथा इन खंडों में, स्वास्थ्य मानकों में सुधार लाने हेतु, अतिरिक्त स्टॉफ, 108 एंबुलेंस तथा मेडिकल मोबाइल वैन की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी तथा स्टॉफ को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जायेगा।

40. राज्य में ऐसी मातायें, जिन्होंने एक या दो बालिकाओं के जन्म पर नसबंदी ऑपरेशन करवा दिया है, उन्हें समाज में रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने के लिए 'ज्योति योजना' चलाई जायेगी। इस योजना के अंतर्गत इन महिलाओं के लिए शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा रोजगार सृजन के विशेष प्रयास किये जायेंगे।

41. राज्य में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दृष्टि से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार आगामी वर्ष 50 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलना एवं 35 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत करना प्रस्तावित है।

42. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर FRU के संचालन हेतु आगामी वर्ष 335 कनिष्ठ विशेषज्ञों के पद सृजित किये जायेंगे, जिनमें 106 स्त्री रोग, 112 शिशु रोग तथा 100 निश्चेतन विशेषज्ञ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त जिला एवं जिला स्तरीय चिकित्सालयों में आगामी वर्ष 47 कनिष्ठ विशेषज्ञों के पद सृजित किये जायेंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (CHC) एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (PHC) में रोग निदान सुविधायें उपलब्ध करवाने हेतु 116 लैब टैक्नीशियनों के पद सृजित किये जायेंगे।

43. राज्य में 114 ऐसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जिनमें महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद स्वीकृत नहीं हैं। इन केन्द्रों हेतु महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद स्वीकृत नहीं हैं।

44. आगामी वर्ष सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं चिकित्सालायों में 660 शैय्याओं की वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है।

45. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन संचालित 15 जनरल नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटरों में, इंडियन नर्सिंग काउंसिल के मापदंडों के अनुसार 15 उप-प्रधानाचार्य एवं 123 ट्यूटर के पद सृजित किया जाना प्रस्तावित है।

46. खदान क्षेत्रों में कार्य करने वाले श्रमिकों में सिलीकोसिस की बीमारी होने की अधिक आशंका रहती है। इसलिए चिह्नित चिकित्सा संस्थानों में सिलीकोसिस की बीमारी के उपचार हेतु बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आवश्यक उपकरणों की जायेगी। खदान क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के कल्याण हेतु पर्यावरण स्वास्थ्य प्रशासन मंडल (Environment Health Administtation Board) का गठन किया गया है। इस बोर्ड की सिफारिशों के अनुसरण में आगामी वर्ष Environment and Health Cess में से 25 करोड़ 60 लाख रुपये का प्रावधान करते हुए खदान क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए चिकित्सा एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध करवाई जायेंगी।

47. आगामी वर्ष राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन का गठन करने की मैं घोषणा करता हूं। इस निगम के माध्यम से राज्य के सभी चिकित्स संस्थानों के लिए जैनरिक

औषधियां, सर्जिकल एवं डाइग्नोस्टिक उपकरणों की खरीद हेतु केंद्रीयकृत व्यवस्था लागू की जायेगी।

48. राजकीय अस्पतालों में आने वाले सभी मरीजों को, सर्वाधिक उपयोग में आने वाली आवश्यक दवाइयां, 2 अक्टूबर 2011 से, निशुल्क उपलब्ध करवाने की मैं घोषणा करता हूं। साथ ही राजकीय चिकित्सालयों में थेलेसीमिया और हिमोफिलिया के मरीजों को चिकित्सा सुविधा भी निशुल्क उपलब्ध करवाई जायेगी।

49. राज्य में शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर एवं कुल प्रजनन दर को नियंत्रित करने के उद्देश्य से प्रेगनेंसी एण्ड चाईल्ड ट्रेकिंग सिस्टम प्लस योजना लागू करने हेतु समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को, इंटरनेट कनेक्शन सुविधा के साथ कंम्प्यूटर, उपलब्ध करवाये जायेंगे, जिस पर 8 करोड़ 85 लाख रुपये की लागत आयेगी।

50. स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण एवं संस्थागत प्रसव की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु NRHM के अंतर्गत 975 नर्स ग्रेड-II एव GNM की नियुक्तियां की जायेंगी।

51. पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का लाभ जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 289 आयुर्वेद, 40 यूनानी एवं 40 होम्योपैथी चिकित्सकों तथा 392 आयुर्वेद नर्स-कंपाउंडरों को नियुक्ति दी जायेगी।

52. वर्ष, 2011-12 में ग्रामीण आयुर्वेद चिकित्सकों के 250 रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी। इसके अतिरिक्त कैंद्रीय प्रवर्तित योजना के माध्यम से 77 आयुष चिकित्सालयों का 49 करोड़ रुपये की लागत से सुदृढ़ीकरण किया जायेगा।

53. करौली जिला मुख्यालय पर जिला अस्पताल के नये भवन का निर्माण करवाया जायेगा।

54. आगामी वर्ष 250 उप-स्वास्थ्य केन्द्रों, 50 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण कार्य करवाया जायेगा, जिस पर लगभग 70 करोड़ रुपये का खर्चा होगा।

55. कन्या भ्रूण हत्या को रोकने हेतु निरीक्षण, जन-जागरण इत्यादि गतिविधियां, NGOs के सहयोग से प्रारंभ की जायेंगी।

56. आमजन हेतु टोलफ्री '104 चिकित्सा परामर्श सेवा' प्रारंभ की जायेगी।

57. राज्य में 1 जनवरी, 2009 से मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना चलाई जा रही है। माननीय सदस्यों को जानकर प्रसन्नता होगी कि इस योजना से 31 जनवरी, 2011 तक लगभग 66 लाख मरीजों का इलाज किया गया है। ऐसे जरूरतमंद व्यक्ति, जो बीपीएल की श्रेणी में नहीं आते हैं, के इलाज हेतु 'मुख्यमंत्री सहायता कोष' के अंतर्गत देय चिकित्सा सहायता हेतु आय की पात्रता सीमा 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 60 हजार रुपये वार्षिक निर्धारित की जायेगी।

चिकित्सा शिक्षा:

58. चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रबंधन हेतु चिकित्सा शिक्षा निदेशालय की स्थापना करने की मैं घोषणा करता हूं।

59. राज्य के मेडिकल कॉलेजों में पैरामेडिकल व नर्सिंग स्टाफ की कमी को देखते हुए वर्ष 2011-12 में नर्स ग्रेड-2 के 1 हजार पद, टेक्नीशियनों के 60 पद तथा वार्ड ब्यॉय के 150 पद स्वीकृत कर इन पर भर्ती की जायेगी।

60. वर्ष 2011-12 में, राज्य के मेडिकल कॉलेजों एवं संबद्ध चिकित्सालयों को आवश्यक उपकरण क्रयं करने हेतु 40 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। आगामी वर्ष मेडिकल कॉलेजों एवं संबद्ध चिकित्सालायों के भवनों की मरम्मत एवं उच्चीकरण पर 30 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार से, स्नातकोत्तर सीट्स में बढ़ोतरी के लिए आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु आगामी वर्ष 52 करोड़ रुपये, एवं ट्रोमा इकाइयों हेतु 17 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होगी।

61. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर में संक्रामक रोग संस्थान तथा मथुरादास माथुर अस्पताला, जोधपुर में Emergency एवं OPD ब्लॉक के निर्माण कार्य करवाये जायेंगे तथा नई अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की जायेगी। मेडिकल कॉलेज, अजमेर में 180 शैय्याओं की वृद्धि की जायेगी, जिसमें से 50 शैय्यायें ICU की होंगी। मेडिकल कॉलज, उदयपुर के अंतर्गत महिला चिकित्सालय में 50 शैय्याओं की वृद्धि की जायेगी। मेडिकल कॉलेज, कोटा के नवनिर्मित भवन को क्रियाशील करने हेतु 5 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।

62. जयपुर स्थित राजकीय दंत महाविद्यालय को राजस्थान हैल्थ साईंसेज यूनिवर्सिटी का संबद्ध कॉलेज बनाया जायेगा। राजकीय दंत महाविद्यालय के विकास पर यूनिवर्सिटी द्वारा 2 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता:

63. राज्य में 'प्रशासन गांवों के संग' अभियान के अंतर्गत गांव-गांव, ढाणी-ढाणी के नि:शक्तजनों के चिन्हीकरण का अभूतपूर्व एवं ऐतिहासिक कार्य किया गया। इस अभियान के माध्यम से लगभग 5 लाख से अधिक नि:शक्तजनों की पहचान कर ली गई है तथा उनमें से अब तक 2 लाख 94 हजार नि:शक्तजनों को प्रमाण-पत्र भी जारी किये जा चुके हैं। पात्र नि:शक्तजनों को पेंशन स्वीकृत करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

64. नि:शक्तजनों की अल्प एवं दीर्घ अवधि की समस्याओं के समाधान हेतु मैं एक अलग निदेशालाय स्थापित करने की घोषणा करता हूं।

65. नि:शक्तजनों के पुनर्वास हेतु उच्च तकनीक, वैज्ञानिक देख-रेख एवं विशेषज्ञों के माध्यम से प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से, NGOs के सहयोग से 'राजस्थान पुनर्वास संस्थान' स्थापित किया जायेगा।

66. हमारी योजना है कि राज्य के सभी नि:शक्त व्यक्तियों को, आवश्यक उपकरण, कृत्रिम पैर, बैसाखियां, ट्राईसाइ‍ाकिल्स, व्हील चेयर्स, जैसी भी उनकी आवश्यकता हो, उपलब्ध करवाकर अथवा यदि ऑपरेशन की आवश्यकता हो, तो ऑपरेशन करवाकर, आगामी

तीन वर्षों में पुनर्वास किया जाये। मैं उद्योग जगत, निपजी क्षेत्र एवं गैर-सरकारी संगठनों का आह्‌वान करता हूं कि इस पुनीत कार्य में, वे अपना अधिकाधिक सहयोग देंगे।

67. आगामी वर्ष अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा एवं भरतपुर संभाग मुख्यालयों पर, 50 व्यक्तियों की क्षमता के मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह स्थापित करने की मैं घोषणा करता हूं।

68. नि:शक्त विद्यार्थियों हेतु, अनुसूचित जाति एवं जनजाति की तर्ज पर अनुप्रति योजना लागू कर, इन्हें उच्च शिक्षण संस्थानों, जैसे IIT,IIM,AIIMS इत्यादि में प्रवेश प्राप्त करने पर 50 हजार रुपये, संघ लोक सेवा आयोग तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग की प्रशासनिक सेवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु क्रमश: 1 लाख व 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।

69. अपचारी बच्चों को सुरक्षित आश्रम सुलभ कराने हेतु, राज्य के अन्य जिलों की तरह ही प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर संप्रेक्षण एवं किशोर गृह (Observation and Children'Home) की स्थापना की जायेगी।

70. राज्य के सरकारी एवं अनुदानित शिशु गृहों में एवं पालनहार योजना के अंतर्गत 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे ही लाभान्वित होते हैं। अत: इन बच्चों की आयु 18 वर्ष से अधिक होने पर, इनके लिए 'मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना' क्रियान्वित की जायेगी, जिसके अंतर्गत व्यावसायिक, तकनीकी तथा उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान की जायेगी एवं इनका कौशल विकास भी किया जायेगा, ताकि इनका पुनर्वास संभव हो।

71. राज्य के संरक्षणविहीन उपेक्षित बच्चे, जो असामाजिक गतिविधियों में लिप्त्हो जाते हैं, उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने तथा संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की 'समेकित बाल संरक्षण योजना' क्रियान्वित की जायेगी।

72. राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में रहने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, मूक-बधिर, नेत्रहीन एवं विमंदितों हेतु संचालित विशेष विद्यालयों के छात्रावासों में रह रहे विद्यार्थियों का मैस भत्ता, हमने वर्ष 2009-10 में 725 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1 हजार रपुये किया था, मैं अब इस भत्ते को बढ़ाकर 1 हजार 250 रुपये करने की घोषणा करता हूं।

73. वर्तमान में 'नवजीवन योजना' का संचालन आबकारी विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। इस योजना का संचालन अब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है। योजना के क्षेत्र का व्यापक करते हुए इस योजना में समाज के ऐसे वर्ग जिनका कोई स्थायी आवास या रोजगार नहीं है, जैसे भाट, भाण्ड, राणा, ढोली, नट व डोम इत्यादि को भी शामिल किया जाना प्रस्तावित है।

74. नवजीवन योजना से लाभान्वित परिवारों के बचचों को छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। इसके अतिरिक्त लाभान्वित परिवारों के बच्चों के लिए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

में एक छात्रावास खोला जायेगा। मादक पदार्थों के सेवन के आदी व्यक्तियों की नशे की लत छुड़वाने हेतु हनुमानगढ़ में नशामुक्ति केंद्र, NGO के माध्यम से संचालित किया जायेगा।

75. विशेष पिछड़ा वर्ग के कल्याण हेतु एक पैकेज लागू किया जायेगा। इस पैकेज में कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजना, राष्ट्रीय स्तर के तकनीाकी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश होने पर प्रोत्साहन राशि योजना, अनुप्रति विस्तार योजना, नि:शुल्क कोचिंग योजना, गृह किराया योजना, प्रतिभावान छात्र प्रोत्साहन योजना, छात्राओं हेतु उच्च शिक्षा आर्थिक सहायता योजना, छात्राओं के लिए 9 मॉडल गर्ल्स हॉस्टल की स्थापना, 6 आवासीय विद्यालयों की स्थापना, बयाना में छात्राओं के लिए महाविद्यालय खोलना एवं डांग क्षेत्र की चुनिंदा तहसीलों में मोबाईल हॉस्पिटल खोलना तथा इन वर्गों के लोगों के लिए ऋण व अनुदान की व्यवस्था शामिल है। देवनारायण योजनान्तर्गत उपरोक्त कार्यों/कार्यक्रमों हेतु गुर्जर, गाड़िया लुहाल, बंजारा एवं रैबारी समाज के लिए 200 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की मैं घोषणा करता हूं।

अल्प संख्यक:

76. राज्य में नया 'अल्पसंख्यक मामलात विभाग' स्थापित किया गया है। सभी जिलों में, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी एवं कर्मचारियों के पद स्वीकृत किये गये हैं। इस विभाग को माननीय प्रधानमंत्री महोदय के 15 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

77. अल्प संख्यक समुदाय के अधिक से अधिक लोगों को स्वयं का रोजगार स्थापित करने हेतु ऋण सुविधा मिल सके, इस हेतु राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम में, राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम की हिस्सा पूंजी 7 करोड़ 80 लाख रुपये से बढ़ाकर 11 करोड़ 71 लाख रुपये की जायेगी तथा ऋण लेने हेतु वर्तमान में दी गई 15 करोड़ रुपये की government guarantee को बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये किया जायेगा।

78. हमने अल्पसंख्यकों को कारोबारी ऋण में, समय पर चुकारा करने की शर्त पर ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट दे रखी है। अब मैं घोषणा करता हूं कि अल्पसंख्यक समुदाय की महिला उद्यमियों द्वारा समय पर ऋण चुकाने पर संपूर्ण ब्याज की छूट दी जायेगी।

79. तालीम के माध्यम से ही अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का विकास संभव है। अत: हमने यह निर्णय लिया है कि राज्य के समस्त संभागीय मुख्यालयों पर चरणबद्ध रूप से अल्पसंख्यक कन्या छात्रावास स्थापित किये जायेंगे। इस वर्ष जयपुर में कन्या छात्रावास प्रारंभ किया जा जा रहा है तथा आगामी वर्ष कोटा और अजमेर में नये कन्या छात्रावास प्रारंभ किये जायेंगे। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम से उच्च एवं तकनीकी शिक्षा हेतु लिये गये ऋण का, समय पर चुकारा करने पर, संपूर्ण ब्याज राशि माफ कर दी जायेगी।

80. विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत छात्रवृतियां प्राप्त कर रहे, अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों की संख्या 24 हजार से बढ़कर इस वर्ष 70 हजार से भी अधिक हो गई है। वर्तमान

योजनाओं के अतिरिक्त अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिए एक नई State Merit-cum Means छात्रवृति योजना प्रारंभ की जायेगी, जो चिह्नित मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ, साईंस और उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के लिए होगी। इसके साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिए अनुप्रति योजना भी प्रस्तावित है।

Skp/usc/09.03.2011/11.40/1e

81. अल्पसंख्यक युवाओं के लिए हुनरमंद और रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण सुलभ कराने के उद्देश्य से रूडा, निर्माण अकादमी, कंस्ट्रक्शन इण्डस्ट्रीज काउंसिल के माध्यम से दक्षता निर्माण कार्यक्रम संचालित करवाये जायेंगे। इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यक युवाओं को उद्यम स्थापित करने के लिए ईएमआई, राइसम आदि के माध्यम से भी प्रशिक्षित किया जायेगा। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को Rajasthan Knowledge Corporation के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करने पर फीस में रियायत दी जायेगी।

82. आगामी वर्ष 200 मदरसों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों के स्तर में क्रमोन्नत किया जायेगा तथा इनमें एक अतिरिक्त शिक्षा सहयोगी और एक कम्प्यूटर की सुविधा प्रदान की जायेगी। मदरसा टीचर्स के न्यूनतम मानदेय को बढ़ाकर 3 हजार 500 रुपये प्रतिमाह किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 'मदरसा बोर्ड' हेतु नये भवन का निर्माण करवाने की मैं घोषणा करता हूं।

83. अजमेर स्थित, भाषायी अल्पसंख्यक राजकीय STC, जिसमें उर्दू के अतिरिक्त पंजाबी, सिंधी आदि अल्पभाषायी शिक्षक-प्रशिक्षण की व्यवस्था थी, को वर्ष 2001 में बन्द कर दिया गया था। मैं इस STC को पुन: प्रारम्भ करने का प्रस्ताव करता हूं। इसके अतिरिक्त, राज्य के चिह्नित अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में, आगामी वर्ष 5 नये ITI स्थापित किये जायेंगे।

84. हज यात्रियों की सुविधा के लिए अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा उनके प्रत्येक जिला कार्यालय में हैल्प-डैस्क स्थापित की जायेगी।

85. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा किराये पर ली गई वक्फ सम्पत्तियों के किराये का पुनर्निर्धारण करवाया जायेगा ताकि वक्फ बोर्ड की राजस्व आय में वृद्धि हो सके। वर्तमान वित्तीय स्थिति देखते हुए वक्फ बोर्ड को 50 लाख रुपये का अनुदान दिया जायेगा।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): 000

जनजाति विकास :

86. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा वर्तमान में 250 छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं जिनकी छात्र क्षमता 16 हजार 375 है। इस वर्ष 62 नये छात्रावासों के भवन निर्माण

की स्वीकृति प्रदान की गई है। निर्माणाधीन 7 कन्या छात्रावासों को पूर्ण कर आगामी वर्ष में उनका संचालन प्रारम्भ कर दिया जायेगा, जिसमें 350 छात्राओं को प्रवेश मिल सकेगा।

87. अनुसूचित जनजाति छात्रावास, आश्रम छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों में रह रहे छात्रों का मैस भत्ता 1 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 हजार 250 रुपये प्रतिमाह करना प्रस्तावित है।

88. मैंने गत दिनों में बारां जिले का दौरा किया था। वहां के सहरिया परिवारों के अत्यधिक पिछड़े होने का कारण, शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होना एवं विभिन्न स्कीम्स के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होना है। हमने वर्ष 2009-10 में निर्णय लिया था कि सहरिया परिवारों को अन्त्योदय अन्न योजना में 35 किलोग्राम नि:शुल्क अनाज उपलब्ध करवाया जाये। अब इन परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए निम्नानुसार एक पैकेज लागू करने की मैं घोषणा करता हूं:-

(1) किशनगंज और शाहबाद इलाके के सहरिया परिवार, केन्द्र सरकार की पीटीजी (Particularly Vulnerable Tribal Group) योजना हेतु पात्र हैं, लेकिन बारां जिले के अन्य इलाकों में रह रहे सहरिया जाति के परिवार किसी भी विकास कार्यक्रम हेतु पात्र नहीं हैं। अत: समूचे बारां जिले के सहरिया परिवारों को, पीटीजी एवं अनुसूचित जनजाति के अन्य विकास कार्यक्रमों के माध्यम से लाभान्वित किया जायेगा।

(2) पीटीजी क्षेत्र के बाहर निवास करने वाले सहरिया परिवारों के बच्चों हेतु दो आवासीय विद्यालयों का निर्माण करवाया जायेगा तथा 50 नये मां-बाड़ी शिक्षा केन्द्र स्थापित किये जायेंगे।

(3) वर्तमान में संचालित 207 मां-बाड़ी शिक्षा केन्द्रों के कर्मियों को सहरिया परिवारों के लिए 'फेसिलिटेटर' के रूप में कार्य करने हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा।

(4) किशनगंज-शाहबाद में सहरिया जाति के युवाओं के लिए एक नये ITI की स्थापना की जायेगी।

(5) महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों का गठन कर, उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु उन्हें ब्याज अनुदान तथा अन्य प्रोत्साहन प्रदान किये जायेंगे।

(6) रीको द्वारा कृषि प्रसंस्करण, विशेषकर वन उत्पादों हेतु एक नये औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जायेगी। इस क्षेत्र में सहरिया युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की शर्त पर निवेश करने हेतु विशेष पैकेज लागू किया जायेगा, जिसके अन्तर्गत RIPS से भी अधिक सुविधायें देय होंगी।

(7) बारां जिले के सहरिया परिवार भारी कर्ज से दबे हुए हैं। इन परिवारों का एक गहन सर्वे करवाया जा रहा है। सर्वे के पश्चात् इनकी आर्थिक स्थिति देखते हुए, इन परिवारों को नरेगा के अन्तर्गत 100 दिन का रोजगार पूर्ण करने के पश्चात्, अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध करवाया जायेगा। इसके अलावा ऐसे निर्धनतम परिवारों के लिए अकलेरा क्षेत्र में एक आवासीय बस्ती का निर्माण करवाने की भी योजना है।

(8) सहरिया परिवारों की स्वामित्व वाली भूमि, जो अन्य लोगों के कब्जे में है, को मुक्त करवाकर उन्हें वापस दिलवाई जायेगी।

(9) केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता के अन्तर्गत सहरिया जनजाति के परिवारों हेतु आगामी वर्ष 1 हजार भवन निर्मित किये जायेंगे।

(10) सहरिया परिवारों को, फसली ऋण हेतु, शेयर पूंजी के पेटे अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।

89. वर्ष 2010-11 में उदयपुर जिले की पिछड़ी जनजाति कथौड़ी के परिवारों के लिए 200 आवासीय भवनों के निर्माण की योजना प्रारम्भ की गई है। आवश्यकतानुसार इनकी संख्या में और वृद्धि की जायेगी।

90. राज्य के जनजाति अनुसूचित क्षेत्र में, जनजाति के परिवारों को फसली ऋण पर 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जायेगा। इस अनुदान राशि पर आगामी वर्ष लगभग 10 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

91. केन्द्र सरकार द्वारा PESA (Panchayats-Extension to the Scheduled Areas) Act 1996 के माध्यम से जनजाति अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतों को विशेष अधिकार देने का प्रावधान किया गया था। राज्य सरकार द्वारा PESA Act को, वर्ष 1999 में लागू कर दिया गया था। इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न अधिनियमों एवं नियमों में संशोधन किया जायेगा तथा PESA नियम बनाकर, PESA Act के प्रावधानों के अनुसार जनजाति अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों को अधिकार दिये जायेंगे। इस क्रम में माइनर फोरेस्ट प्रोड्यूस- जैसे तेंदू पत्ता, गोंद, शहद आदि से प्राप्त होने वाली राशि को अनुसूचित क्षेत्र की पंचायतों को हस्तांतरित किया जायेगा।

महिला एवं बाल विकास :

92. महिला विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत 9 हजार से अधिक साथिनों के मानदेय को एक हजार रुपये से बढ़ाकर 1 हजार 250 रुपये प्रतिमाह करने की मैं घोषणा करता हूं। आशा सहयोगिनियों के मानदेय में भी 250 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की जायेगी।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): 000

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): 000

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): 93. महिला स्वयं सहायता समूहों को सुदृढ़ कर, इन्हें स्थायित्व प्रदान करने एवं माईक्रोफाइनेंस द्वारा स्वावलंबन हेतु प्रेरित करने के लिए एक राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी निर्धारित की जायेगी। महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिला विकास को बढ़ावा देने के लिए 45 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।

94. राज्य में, घरेलू हिंसा अधिनियम के अन्तर्गत, सभी जिलों में पदेन संरक्षण अधिकारी बनाये हुए हैं। अधिनियम की मूल भावना को दृष्टिगत रखते हुए सभी जिलों में इनके अतिरिक्त अलग से संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति की जायेगी।

95. महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसा की घटनायें चिंता का विषय है। राज्य सरकार महिलाओं को शोषण एवं उत्पीड़न से बचाने व उन्हें संरक्षण प्रदान करने के लिए संवेदनशील रही है। इसी दृष्टि से 'राजस्थान महिला (अत्याचार निवारण एवं संरक्षण) विधेयक' लाया जायेगा।

96. समेकित बाल विकास सेवा के अन्तर्गत प्रतिदिन लगभग 55 लाख बच्चों, गर्भवती तथा धात्री महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार उपलब्ध करवाया जाता है। इस योजना के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए गुणवत्तायुक्त पोषाहार उपलब्ध करवाने हेतु राज्य सरकार द्‌वारा अपने निर्धारित अंशदान के अतिरिक्त, 177 करोड़ रुपये आवंटित किया जाना प्रस्तावित है।

97. Rajasthan Knowledge Corporation से कम्प्यूटर के बेसिक कोर्स का प्रशिक्षण लेने वाली राज्य की सभी वर्ग की महिलाओं से कोई प्रशिक्षण शुल्क नहीं लेने की मैं घोषणा करता हूं। इस प्रशिक्षण हेतु निर्धारित फीस की राशि राज्य सरकार द्‌वारा वहन की जायेगी।

वन एवं पर्यावरण :

98. वनों एवं वन्यजीवों के संरक्षण तथा संवर्धन की दृष्टि से संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2011 को 'अन्तरराष्ट्रीय वन वर्ष' घोषित किया है। हम भी इसके लिए वचनबद्ध हैं। अत: राज्य के वन्यजीवों के आश्रय स्थलों के विकास के साथ-साथ ग्लोबल वार्मिंग का मुकाबला करने हेतु विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे।

99. राज्य के 10 मरुस्थलीय जिलों एवं 5 गैर-मरुस्थलीय जिलों तथा 7 वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों में JICA की बाह्य सहायता से 1 हजार 153 करोड़ रुपये की लागत का Rajasthan Forestry and Bio-Diversity Project, वर्ष 2011 से 2019 की अवधि में संचालित किया जायेगा। इस प्रोजेक्ट में वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण तथा भू-जल संरक्षण (Bio-Diversity Conservation and Soil & Water Conservation) के कार्यों के अतिरिक्त, 650 गांवों में गरीबी उन्मूलन एवं आजीविका संवर्धन के कार्य करवाये जायेंगे। साथ ही, सूंडा माता-जालौर और गुढ़ा विश्नोई-जोधपुर को 'ईको-टूरिज्म सेंटर्स' के रूप में विकसित किया जायेगा।

100. वन्यजीवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुकंधरा की महाड़ियों को बाघ संरक्षित क्षेत्र (Tiger Reserve) घोषित करने हेतु, केन्द्र सरकार सिद्धांतत: सहमत है तथा इस सम्बन्ध में शीघ्र ही कार्य योजना बनाई जायेगी।

101. CAMPA (Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority) का उपयोग करते हुए आगामी वर्ष, बीकानेर, जोधपुर एवं नागौर जिलों में, वन्यजीवों के समुचित उपचार एवं पुनर्वास हेतु, 4 उपचार एवं पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना की जायेगी तथा रणथम्भौर से मुकन्दरा की पहाड़ियों तक बाघों के प्राकृतिक आवास हेतु कॉरिडोर का विकास किया जायेगा।

102. रणथम्भौर बाघ परियोजना क्षेत्र में एक मोबाईल रेस्क्यू वैन, दो पशु चिकित्सकों के साथ उपलब्ध करवाई जायेगी। इसके अतिरिक्त परियोजना क्षेत्र के समीपस्थ गांव के 5 हजार परिवारों को कुकिंग गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाने हेतु 1 हजार रुपये प्रति गैस गनेक्शन अनुदान दिया जायेगा।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज :

103. ग्रामीण क्षेत्रों के बीपीएल परिवारों को आवासीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार कृतसंकल्प है। वर्तमान में औसतन 65 हजार परिवारों को प्रतिवर्ष इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जाता है। माननीय सदस्यों को जानकर खुशी होगी कि 'प्रशासन गांवों के संग अभियान' के तहत लगभग 1 लाख बीपीएल परिवारों को नि:शुल्क पट्टे उपलब्ध कराये गये, जिसके फलस्वरूप केन्द्र सरकार द्वारा भी प्रोत्साहन स्वरूप 95 हजार अतिरिक्त इंदिरा आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस प्रकार आगामी वर्ष में 1 लाख 58 हजार इंदिरा आवास निर्मित करवाया जाना संभव हो सकेगा।

104. राज्य में ग्रामीण बीपीएल आवासों की लंबित मांग को ध्यान में रखते हुए 3 हजार 400 करोड़ रुपये की लागत से इंदिरा आवास योजना की तर्ज पर 'मुख्य मंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना' लागू करने की मैं घोषणा करता हूं। इस योजना में इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित किये जाने वाले आवासों के अतिरिक्त आगामी वर्ष 1 हजार 400 करोड़ रुपये की लागत से, 2 लाख 80 हजार आवास स्वीकृत किये जायेंगे। वर्ष 2012-2013 एवं 2013-14 में, 2-2 लाख अतिरिक्त आवास स्वीकृत किये जायेंगे। इस योजना के वित्त पोषण हेतु जिला परिषदों द्वारा HUDCO से ऋण लिया जायेगा। इस प्रकार 'इंदिरा आवास योजना' एवं 'मुख्य मंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना' के अन्तर्गत आगामी 3 वर्षों में लगभग 10 लाख ग्रामीण बीपीएल परिवारों को आवास उपलब्ध करवाये जायेंगे।

105. राज्य के विकास में गैर-सरकारी संगठनों की भी महती भूमिका है। इन संगठनों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से एक 'राज्य स्तरीय सलाहकार परिषद' का गठन किया जायेगा।

106. धौलपुर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, बूंदी, कोटा, झालावाड़ एवं बारां जिले हेतु डांग क्षेत्र विकास बोर्ड का प्रावधान 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर, आगामी वर्ष में 10 करोड़ रुपये किया जायेगा। मगरा क्षेत्र विकास बोर्ड, जिसके अन्तर्गत अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, पाली व राजसमन्द जिलों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के कार्य किये जाते हैं, का प्रावधान 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर, आगामी वर्ष 10 करोड़ रुपये करना प्रस्तावित है। राज्य के अलवर एवं भरतपुर जिले में मेव बाहुल्य विकास खंडों में आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु प्रावधित राशि 7 करोड़ रुपये से बढा़कर, आगामी वर्ष 15 करोड़ रुपये किया जाना प्रस्तावित है।

107. 'प्रशासन गांवों के संग अभियान' के दौरान ग्राम पंचायतों की चरागाह, चरनोट, ओरन आदि भूमि पर अतिक्रमणों की समस्या सामने आई थी। अत: राज्य सरकार द्वारा यह

निर्णय लिया गया है कि ऐसे अतिक्रमण पंचायत राज संस्थाओं को विश्वास में लेकर हटाये जायेंगे। साथ ही अतिक्रमण मुक्त भूमि पर चरागाह विकास हेतु वर्षा जल संरक्षण संरचनाओं (Water Harvesting Structures) का निर्माण, वृक्षारोपण तथा कच्ची चारदीवारियों के कार्य नरेगा योजनान्तर्गत करवाये जायेंगे, ताकि भूमि की सुरक्षा के साथ-साथ पशुधन के लिए चारा उपलब्ध हो सके।

108. वर्तमान में राज्य में बीपीएल परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए एमपॉवर (Mitigating Poverty in Western Rajasthan) एवं राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। इनके अतिरिक्त हाल ही में घोषित, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, संपूर्ण प्रदेश में चरणबद्ध रूप से लागू किया जायेगा। इस मिशन के अन्तर्गत, प्रथम चरण में आगामी वर्ष 16 जिलों के 10 हजार निर्धनतम बीपीएल परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।

109. पांचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, जिला परिषद स्तर पर मुख्य विधि सहायक के 33 नवीन पद, पंचायत समिति स्तर पर पंचायत प्रसार अधिकारी के 182 अतिरिक्त पद, कनिष्ट लिपिकों के 309 पद तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 209 पद सृजित किये जायेंगे। इन पदों के सृजन से, लम्बे समय से नियुक्ति हेतु प्रतीक्षा कर रहे, मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को भी नियुक्ति मिल सकेगी। इसके साथ ही पंचायत समितियों में कनिष्ठ अभियंताओं के 121 रिक्त पद राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जायेंगे। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवकों के 703 पदों पर चयन किया जाकर, जिला परिषद के माध्यम से नियुक्ति दी जा रही है।

110. जिला परिषद, बारां एवं प्रतापगढ़ हेतु नये कार्यालय भवनों का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है।

111. राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय दृष्टि से सशक्त बनाने हेतु एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न करों का हिस्सा, पंचायती राज संस्थाओं को दिया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2011-12 में, तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत देय 575 करोड़ 84 लाख रुपये के अनुदान के अतिरिक्त पंचायती राज संस्थाओं को 1 हजार 491 करोड़ रुपये उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। समिति की सिफारिश के अनुसार, जिला परिषदों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों को, पूर्व वर्ष से अधिक, कर राजस्व अर्जित करने की स्थिति में, प्रोत्साहन के रूप में, अतिरिक्त राशि दी जायेगी।

112. पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित विभागों के कारण उनकी जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। अत: यह निर्णय लिया गया है कि आगामी वर्ष, सभी पंचायत समितियों के प्रधानगणों के उपयोग हेतु, एक वाहन अलग से उपलब्ध कराया जायेगा, जिस पर 12 करोड़ 50 लाख रुपये का खर्चा होगा।

vkj/usc/09.03.2011/12.00/1g

कृषि:

113. जल की कमी को देखते हुए फसलों की सिंचाई हेतु वर्षा जल संग्रहण एवं उपलब्ध जल के कुशलतम उपयोग को बढ़ावा देना आवश्यक है। इस वर्ष लगभग 7,500 डिग्गियों, फार्म पौण्ड्स एवं टांकों का निर्माण करवाया जा रहा है तथा आगामी वर्ष के लिए लक्ष्य को बढ़ाकर 15,000 करना प्रस्तावित है। वर्तमान में डिग्गी निर्माण पर दो लाख रुपये एवं फार्म पौण्ड के निर्माण पर 40,000 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। फार्म पौण्ड निर्माण हेतु अनुदान राशि को बढ़ाकर 50,000 रुपये किये जाने की मैं घोषणा करता हूं।

114. उपलब्ध जल के कुशलतम उपयोग की दृष्टि से, कपास, गन्ना, सब्जियां एवं अन्य न्यून अंतराल वाली फसलों हेतु आगामी वर्ष से बूंद-बूंद सिंचाई हेतु दिये जाने वाले अनुदान की दर 70 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत करने की मैं घोषणा करता हूं, जिस पर लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।

115. राज्य में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पिछले कुछ वर्षों से सरकार द्वारा उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण की व्यवस्था की गई है। वर्ष 2010-11 में तीन लाख मैट्रिक टन डीएपी का बफर स्टाक रखा गया था, जिसके परिणामस्वरूप मांग के अनुसार इसकी आपूर्ति संभव हो सकी। वर्ष 2011-12 में राजफैड के माध्यम से 3,50,000 मैट्रिक टन डीएपी का अग्रिम भण्डारण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त तिलहनी फसलों के उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाने तथा प्रति इकाई उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से राजफैड के माध्यम से एक लाख मैट्रिक टन सिंगल सुपर फास्फेट का बफर स्टाक रखा जायेगा।

116. विश्व बैंक के सहयोग से लगभग 1,000 करोड़ रुपये की "राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्द्धा योजना" लागू करना प्रस्तावित है। इस योजना के अन्तर्गत, चयनित क्षेत्रों में कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, जल संसाधन के कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग एवं विपणन से सम्बन्धित कार्यक्रम हाथ में लिये जायेंगे। हमारा यह प्रयास है कि वर्ष 2011-12 में इस परियोजना की स्वीकृति प्राप्त कर इसका क्रियान्वयन प्रारम्भ कर दिया जाये।

117. भरतपुर में एक "राज्यस्तरीय एग्रो एण्ड फूड प्रोसेसिंग सेंटर" की स्थापना करने की मैं घोषणा करता हूं। इस सेंटर की स्थापना से प्रदेश के कृषि उत्पादों में मूल्यवर्धन संभव हो सकेगा।

118. कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र में छात्राओं के बढ़ते हुए रुझान को देखते हुए महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर में तीन करोड़ रुपये की लागत से एक कन्या छात्रावास का निर्माण करवाया जायेगा।

सहकारिता:

119. राजसमन्द एवं करौली में जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक स्थापित करना प्रस्तावित है। इन बैंकों की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा 50-50 लाख रुपये की अंश पूंजी उपलब्ध करवाई जायेगी।

120. गत वर्षों में राज्य सरकार द्वारा अधिक से अधिक काश्तकारों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाये गये। वर्ष 2008-09 में लगभग 2,500 करोड़ रुपये के एवं वर्ष 2009-10 में 3,300 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किये गये। वर्ष 2010-11 में राज्य सरकार द्वारा सहकारी बैंकों को दो प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया गया, जिसके परिणामस्वरूप 5,400 करोड़ रुपये से अधिक राशि के ऋण वितरित करना संभव हो सका, जिससे लगभग 22 लाख से अधिक काश्तकार लाभान्वित हुए हैं। माननीय सदस्यों को जानकर प्रसन्नता होगी कि अगले वर्ष 6,000 करोड़ रुपये के फसली ऋण वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस हेतु राज्य सरकार सहकारी बैंकों को दो प्रतिशत ब्याज अनुदान के रूप में 72 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करायेगी।

121. चालू वर्ष में आदिवासी क्षेत्रों में 100 लैम्प्स खोले गये। आगामी वर्ष भी उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ एवं सिरोही के जनजाति क्षेत्र में एवं किशनगंज एवं शाहबाद के सहरिया क्षेत्र में नये 100 लैम्प्स खोले जायेंगे। इसके लिए 20 करोड़ रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई जायेगी।

122. टी.एसपी. क्षेत्रों के सहकारी बैंकों से ऋण लेने वाले जनजाति के सभी बीपीएल परिवारों को शेयर पूंजी का अंशदान राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा, ताकि ये लोग ऋण प्राप्त कर सकें। इस पर लगभग 15 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

123. प्रतापगढ़ एवं करौली जिलों में उपभोक्ताओं को शुद्ध व गुणवत्तापूर्ण उपभोक्ता वस्तुएं उचित दरों पर उपलब्ध कराने हेतु उपभोक्ता होलसेल भण्डारों का गठन किया जायेगा।

पशुपालन:

124. प्रदेश में पशुधन विकास के लिए आगामी वर्ष, 100 पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों को पशु चिकित्सालयों में, 200 पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों को पशु औषधालयों में तथा 45 पशु चिकित्सालयों को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति:

125. राज्य में छह संभागीय मुख्यालयों तथा भीलवाड़ा, चूरू, बाड़मेर एवं नागौर... (व्यवधान) आएगा आएगा, क्यों चिंता करते हो? अलवर तो छाया हुआ है भई। बी.एम.आई.सी. और फ्रेट कोरिडोर और पता नहीं क्या-क्या, नीमराना, टपूकड़ा, तिजारा और उसके आसपास...

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): 000

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): ... अलवर तो सिरमौर है। आपका आएगा, इंततार कीजिये थोड़ा (व्यवधान) राज्य के छह संभागीय मुख्यालयों...

बारां का नाम बार-बार आ रहा है, उसके लिए आप बोल ही नहीं रहे हो। (व्यवधान) राज्य के छह संभागीय मुख्यालयों तथा भीलवाड़ा, चूरू, बाड़मेर एवं नागौर जिला मुख्यालयों में एपीएल परिवारों को गेहूं के स्थान पर फोर्टीफाइड आटा उपलब्ध करवाने की योजना

प्रारम्भ की गई है। चरणबद्ध रूप से अन्य जिलों में भी इस योजना को लागू किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बीपीएल परिवारों को भी फोर्टीफाइड आटा उपलब्ध कराने की योजना विचाराधीन है।

126. माननीय सदस्यों को विदित है कि राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ किया गया 'शुद्ध के लिए युद्ध अभियान' बहुत सफल रहा है। राज्य के जिला मुख्यालयों में पीपीपी मोड पर स्थाई प्रयोगशालाओं की स्थापना कर, इस अभियान को और अधिक प्रभावी बनाया जायेगा।

127. गत बजट घोषणा के अनुसरण में राज्य के सभी बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल परिवारों को दो रुपये किलोग्राम की दर से 25 किलोग्राम गेहूं उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस श्रेणी में नये जुड़े परिवारों, जिनकी संख्या चार लाख से अधिक है, को भी इसी दर से गेहूं उपलब्ध करवाया जायेगा।

श्रम एवं रोजगार:

128. राज्य के युवाओं के लिए कौशल एवं आजीविका विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य में 'राजस्थान कौशल एवं आजीविका मिशन' की स्थापना की जायेगी। इस मिशन के अन्तर्गत 'राजस्थान कौशल एवं आजीविकास विकास परिषद' तथा 'राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम' स्थापित होंगे। विकास परिषद नीतिगत निर्देश प्रदान करेगी तथा निगम, पूर्व में राज्य में कार्यरत RMoL का स्थान लेगा। राजस्थान कौशल एवं आजीविका मिशन तथा इसके अन्तर्गत कार्य करने वाले संगठनों हेतु, एक कार्यालय भवन का चार करोड़ रुपये की लागत से निर्माण करवाया जायेगा।

129. राज्य के गैर-संगठित कामगारों के लिए संचालित 'विश्वकर्मा गैर-संगठित कागकार अंशदायी पेंशन योजना' के सदस्यों को केन्द्र सरकार की 'स्वावलम्बन योजना' से लाभान्वित किया जायेगा। विश्वकर्मा योजना के अन्तर्गत सदस्यों द्वारा जमा कराई गई राशि 1,000 रुपये से कम होने पर, अंतर राशि, राज्य सरकार द्वारा एक बारगी अनुदान के रूप में, जमा कराई जायेगी, ताकि विश्वकर्मा योजना के सदस्य स्वावलम्बन योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से अंशदान प्राप्त करने के लिए पात्र हो सकें।

130. केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रथम चरण में सभी सात संभागीय मुख्यालयों पर असंगठित श्रमिकों, जिनमें स्ट्रीट वैंडर्स, बीड़ी श्रमिक, निर्माण श्रमिक तथा नरेगा श्रमिक शामिल हैं, पर लागू की जायेगी, जिससे लगभग एक लाख श्रमिकों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

131. 'भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम' का राज्य में प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन करवाने हेतु 'भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल' का गठन किया गया है। अधिनियम के अन्तर्गत सेस से अब तक लगभग 36 करोड़ रुपये की राशि एकत्रित हुई है। इसी क्रम में, मैं महिला निर्माण श्रमिकों को प्रसूति सहायता देने तथा निर्माण श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए मण्डल के माध्यम से योजनाएं लागू करने का प्रस्ताव करता हूं।

शिक्षा:

132. जैसाकि माननीय सदस्यों को विदित है कि हमारी सरकार ने प्राथमिक शिक्षा हेतु, 300 संस्कृत शिक्षकों सहित 50,000 शिक्षकों के पदों पर भर्ती करने का निर्णय लिया है... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर):000

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): ... इस क्रम में Right to Education Act लागू होने के परिणामस्वरूप, अध्यापकों की नियुक्ति से पूर्व अध्यापक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण करना आवश्यक हो गया है। हमने TET के आयोजन हेतु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को अधिकृत कर दिया है और शीघ्र ही राज्य में इसका आयोजन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, नियुक्ति प्रक्रिया में, विशेष पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के मुद्दे पर न्यायिक प्रक्रिया के कारण जो विलम्ब हुआ, उसका भी समाधान होने से अब ये नियुक्तियां देना शीघ्र संभव हो सकेगा।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): 000

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): आगे सुनिये आप।

133. माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की कमी को देखते हुए, प्रधानाध्यापक, स्कूल व्याख्याता, अध्यापक ग्रेड-द्वितीय एवं प्रयोगशाला सहायक के कुल 25,406 नये पद स्वीकृत करने की मैं घोषणा करता हूं।

134. Right to Education Act के अन्तर्गत प्रत्येक बच्चे को स्कूल की शिक्षा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से शिक्षा से वंचित बच्चों के चिन्हीकरण हेतु शिक्षा विभाग द्वारा एक चाइल्ड ट्रेकिंग सर्वे करवाया गया है। इस सर्वे के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि राज्य में अनामांकित अथवा ड्रोप-आउट बच्चों की संख्या लगभग 12 लाख है, जोकि एक चिंता का विषय है। इस समस्या के समाधान हेतु कार्ययोजना बनाकर अनामांकित एवं ड्रोप-आउट बच्चों को शिक्षा से जोड़ने हेतु पंचायती राज संस्थाओं, स्थानीय जन प्रतिनिधियों एवं विद्यालय प्रबन्धन समितियों का सहयोग लिया जायेगा।

135. आगामी वर्ष से ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं को, अपने रहवास वाले गांव के अतिरिक्त अन्य स्थान पर राजकीय विद्यालयों में, आठवीं कक्षा पास करके कक्षा नौ में प्रवेश लेने पर, साइकिल योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जायेगा। पूर्व में इस योजना के अन्तर्गत दसवीं कक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को ही यह सुविधा उपलब्ध थी। साइकिलों हेतु, छात्राओं के अंशदान की राशि 300 रुपये से घटाकर 100 रुपये की जायेगी। छात्राओं को साइकिल योजना के स्थान पर ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ लेने का भी विकल्प दिया जायेगा। साइकिल योजना में इन प्रावधानों के परिणामस्वरूप, आगामी वर्ष, कक्षा 9 व 10 में अध्ययनरत 1,42,000 छात्राओं को लाभान्वित किया जायेगा, जिस पर 28.50 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

136. राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा 'विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना' संचालित है। वर्तमान योजना में आठवीं तक के

विद्यार्थियों का 20,000 रुपये का एवं कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों का 50,000 रुपये का बीमा किया जाता है। आगामी वर्ष से कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों का एक लाख रुपये का बीमा किया जायेगा।

137. जनजाति उपयोजना क्षेत्र में जनजाति के बच्चों में अभी भी शिक्षा का बहुत अभाव है। आगामी वर्ष उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही तथा प्रतापगढ़ जिलों की 500 आंगनबाड़ियों में छह साल से कम उम्र के बच्चों को प्री-स्कूल शिक्षादिलाने हेतु, एक नया पद स्वीकृत कर, इन पदों पर एनटीटी योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जायेगी।

138. Right to Education Act, 2009 के एक अप्रेल, 2010 से लागू होने के पश्चात् NCTE के निर्देशानुसार केवल प्रशिक्षित कार्मिकों को ही अध्यापकों के पदों पर नियुक्त किया जा सकता है। इसके कारण अधिकांश विधवा अथवा परित्यक्ता महिलाएं, जो B.STC. अथवा B.Ed. उत्तीर्ण नहीं हैं, तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पदों पर नियुक्त नहीं की जा सकती हैं। ऐसी महिलाओं हेतु 'विधवा/परित्यक्ता मुख्य मंत्री सम्बल योजना' चलाई जाकर उन्हें सरकार खर्चे पर B.STC. अथवा B.Ed. की योग्यता अर्जित करने की सुविधा दी जायेगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): 000

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): आपकी सलाह ले लेंगे। (व्यवधान)

139. अध्यापक ग्रेड-सैकण्ड के उर्दू शिक्षकों के 62 रिक्त पदों पर नियुक्ति, राजस्थान लोक सेवा आयोग में प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त आगामी वर्ष में अध्यापक तृतीय श्रेणी के 500 पदों पर उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी।

140. शिक्षा की दृष्टि से, राज्य के पिछड़े हुए 186 ब्लाक्स, जिनके ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता की दर कम है तथा जेंडर गैप अधिक है, में से 134 ब्लाक्स में माडल स्कूलों का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जायेगा। इन माडल स्कूलों के निर्माण पर लगभग 400 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

141. राजकीय महिला महाविद्यालय, सवाईमाधोपुर के भवन निर्माण का कार्य दो करोड़ रुपये की लागत से करवाया जायेगा।

142. आगामी वर्ष महाविद्यालयों में प्रयोगशाला सहायकों के 200 रिक्त पदों को भरा जाना प्रस्तावित है।

तकनीकी शिक्षा:

143. राज्य में पीपीपी मोड के अन्तर्गत केन्द्र सरकार की सहायता से कोटा में एक आई.आई.आई.टी की स्थापना की घोषणा करता हूं।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): 000

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): राज्य सरकार द्वारा आई.आई.आई.टी. की स्थापना हेतु... ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांत हो जाओ। (व्यवधान) राज्य सरकार द्वारा आई.आई.आई.टी. की स्थापना हेतु नि:शुल्क भूमि एवं 45 करोड़ रुपये का अंशदान उपलब्ध करवाया जायेगा, जिसकी सैद्धान्तिक स्वीकृति केन्द्र सरकार को भिजवा दी गई है।

144. केन्द्र सरकार की तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना के अन्तर्गत राज्य के 10 अभियांत्रिकी महाविद्यालयों को सम्मिलित किया जायेगा, जिसके अन्तर्गत केन्द्र सरकार से 55 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे तथा राज्य सरकार द्वारा 15 करोड़ रुपये का अंशदान दिया जायेगा।

145. राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा के संघटक अभियांत्रिकी महाविद्यालय में एयरोनोटिकल/स्पेस इंजीनियरिंग एवं पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के दो नये पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जायेंगे।

146. उदयपुर तथा सहरिया क्षेत्र में राजकीय पोलीटैक्निक महाविद्यालय स्थापित किये जायेंगे।

147. राज्य में बाड़मेर, बारां, चूरू, करौली, धौलपुर एवं जैसलमेर जिलों में वर्तमान में इंजीनियरिंग कालेज नहीं हैं। अत: निजी क्षेत्र में इन जिलों में इंजीनियरिंग कालेज प्रारम्भ करने के लिए, राज्य सरकार द्वारा नि:शुल्क भूमि उपलब्ध करवाई जायेगी।

युवा मामले एवं खेल:

148. वर्तमान वर्ष खेलों की दृष्टि से राजस्थान के लिए उपलब्धियों से भरा रहा है। दिल्ली में हुए कामनवैल्थ खेलों तथा ग्वांगझू, चीन में हुए एशियाई खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। राजस्थान की क्रिकेट टीम ने इस वर्ष रणजी ट्राफी में ऐतिहासिक विजय प्राप्त कर राज्य का गौरव बढ़ाया है। इसके साथ ही उदयपुर में माह जनवरी में सम्पन्न राष्ट्रीय युवा महोत्सव में देश के समस्त राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ-साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका एवं भूटान से आये लगभग 5,000 प्रतिभागियों द्वारा कला एवं संस्कृति के इस अनूठे समागम का भरपूर आनन्द उठाया गया। हैदराबाद में हुई स्काउट्स एवं गाइड की राष्ट्रीय जम्बूरी में भी राजस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। मैं, माननीय सदन और राज्य सरकार की तरफ से प्रदेश की इन सभी प्रतिभाओं को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं।

149. राज्य सरकार द्वारा पदक विजेता खिलाड़ियों का सम्मान करते हुए, खेलों को बढ़ावा देने का निश्चय किया गया है, ताकि भविष्य में ऐसी ही उपलब्धियां अर्जित हो सकें। राज्य की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए 78 नये खेल प्रशिक्षकों एवं सभी संभागीय मुख्यालयों पर खेल प्रबन्धकों (Sports Manager) की नियुक्ति की जायेगी। जयपुर में क्रिकेट हेतु एक नया स्टेडियम विकसित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान क्रिकेट एसोसियेशन (RCA) को आरक्षित दर की 10 प्रतिशत राशि पर भूमि आवंटित किया जाना प्रस्तावित है। भरतपुर में खेलों, विशेषकर कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए खेल संकुल की स्थापना की जायेगी।

Jkj/usc/1j/09.03.2011/

150. राज्य में, वर्तमान में खेलों के लिए अलग से प्रशिक्षण संस्थान नहीं है। अत: पीपीपी मोड पर झुंझुनूं में फिजीकल एजुकेशन एण्ड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने की मैं घोषणा करता हूं।

151. आगामी वर्ष में अनटाइड फंड के रूप में 2 करोड़ रूपये की राशि, खेलों के प्रोत्साहन हेतु उपलब्ध कराई जायेगी।

152. आगामी वर्ष राजकीय विद्यालयों में स्काउट एवं गाइड की गतिविधियों को बढ़ावा देने एवं अन्य कार्यक्रमों हेतु 4 करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध करवाई जायेगी। राजकीय विद्यालयों के साथ-साथ निजी विद्यालयों में भी स्काउट की गतिविधियां संचालित की जायेंगी। साथ ही एक लंबे अंतराल के बाद राज्य में स्काउट एवं गाईड की जंबूरी भी आयोजित करवाई जायेगी।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी :

153. राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अल्प आय वर्ग के परिवारों के लगभग 7 हजार मेधावी छात्र-छात्राओं को सेटकॉम के माध्यम से इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी हेतु कोचिंग की सुविधा आगामी वर्ष से प्रदान की जायेगी। भविष्य में इस सुविधा का विस्तार मेडिकल कॉलेज में प्रवेश की तैयारी की कोचिंग हेतु भी किया जायेगा।

154. राज्य में प्रथम बार, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन करवाना प्रस्तावित है।

155. नैनो टेक्नोलॉजी में उच्च स्तरीय अनुसंधान व शिक्षण कार्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित एक केंद्र, राजस्थान विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर कनविर्जंग टेक्नोलोजीज में, स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

156. आगामी वर्ष में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में संचालित विज्ञान क्लबों की संख्या 2 हजार 222 से बढ़ाकर 5 हजार किया जाना प्रस्तावित है तथा इन क्लबों को दी जा रही वित्तीय सहायता भी 5 हजार रूपये से बढ़ाकर 10 हजार रूपये किया जाना प्रस्तावित है।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार :

157. वर्तमान समय में ई-गवर्नेंस के बिना गुड गवर्नेंस संभव नहीं है। अत: शासन में सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व को ध्यान में रखते हुए, हमने राज्य सरकार के योजना बजट का 3 प्रतिशत भाग, विभिन्न विभागों को सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग एवं कंप्यूटराइजेशन पर खर्च करने के निर्देश दिये थे। आगामी वर्ष इस हेतु लगभग 300 करोड़ रूपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व को देखते हुए, इसके लिए धन की कमी नहीं आने दी जायेगी।

158. राज्य में इस वर्ष एक नवीन आधुनिक डाटा सेंटर स्थापित किया गया है। राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करते हुए आगामी वर्ष ब्लाक एवं

जिला स्तर पर लगभग 3 हजार 400 सरकारी कार्यालयों को राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क से जोड़कर 120 करोड़ रूपये की लागत से सूचना तंत्र विकसित किया जायेगा।

159. विभिन्न जन-सेवायें, जैसे जाति व मूल निवास प्रमाण-पत्र, जन्म-मृत्यु पंजीकरण, लोक सेवा आयोग के आवेदन व प्रवेश पत्र प्राप्त करने, नगर निकायों तथा अन्य संस्थाओं के भुगतान इत्यादि की सुविधायें नागरिकों को सुगमता से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, राजस्थान ऑन लाइन परियोजना लागू की जायेगी, ताकि ई-गवर्नेंस का वास्तविक लाभ जनता को सुलभ हो सके।

160. इसके अतिरिक्त स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे योजनान्तर्गत 7 विभागों की 42 सेवाओं हेतु घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से आवेदन करने की सुविधा प्रदान की जायेगी।

161. अजमेर और जोधपुर जिलों में पायलट आधार पर ई-डिस्ट्रिक्ट योजना के अन्तर्गत जिला कलक्टर कार्यालय से जुड़ी हुई सेवायें इंटरनेट के माध्यम से नागरिकों को उपलब्ध करवाई जायेंगी।

162. राज्य सरकार के संवेदनशील, जवाबदेह एवं पारदर्शी शासन देने के संकल्प के क्रम में भंडार, क्रय नियम एवं निविदा प्रणाली स्टोर परचेज रूल्स एण्ड टेण्डर सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ाने हेतु राजस्थान पारदर्शिता विधेयक लाया जायेगा। इस विधेयक में ई-प्रोक्योरमेंट को चरणबद्ध रूप से लागू करने के प्रावधान भी शामिल किये जायेंगे। प्रथम चरण में अभियांत्रिकी विभागों की 50 लाख रूपये से अधिक की सभी निविदाओं हेतु ई-प्रोक्योरमेंट का उपयोग करना अनिवार्य किया जायेगा।

उद्योग :

163. मुझे माननीय सदन को अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि केंद्र सरकार ने, हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए, भारतीय प्रवासी दिवस-2012 का आयोग 7 से 9 जनवरी को जयपुर में कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

164. राज्य में तीव्र औद्योगिक विकास हेतु औद्योगिक एवं निवेश नीति-2010 जारी की जा चुकी है तथा सिंगल विन्डो अधिनियम भी इसी सत्र में लाया जा रहा है। सिंगल विन्डो आर्डिनेंस एवं तत्संबंधी नियमों के अंतर्गत अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर जिलों में 10 करोड़ रूपये से अधिक की निवेश की परियोजनाओं के लिए एकल खिड़की निस्तारण व्यवस्था लागू की गई थी। मैं अब इस व्यवस्था को प्रदेश के सभी जिलों में लागू करने की घोषणा करता हूं।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): 000

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजें। व्यवधान नहीं, कृपया पूरा सुन लें।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): 165. राज्य के सीमावर्ती बाड़मेर जिले के, चोहटन एवं शिव में हस्तशिल्प, कसीदाकारी इत्यादि कार्यों से अनेक महिलायें जुड़ी हुई हैं। इन महिलाओं को संबल प्रदान करने की दृष्टि से, इनके स्वयं सहायता समूह गठित करवाये

जायेंगे। इन समूहों को आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जायेगा तथा इनके उत्पादों के विपणन के लिए भी व्यवस्था की जायेगी।

166. पाली, जोधपुर, बालोतरा में वस्त्रों की रँगाई-छपाई से हो रहे प्रदूषण में कमी लाने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि वहां पर पावरलूम इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जाये। अत: इस क्षेत्र के लिए एक निवेश प्रोत्साहन योजना लागू की जायेगी।

167. खादी उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए, पूर्व की भांति इन उत्पादों पर, विशेष अवधियों में, छूट दी जायेगी। इस हेतु आगामी वर्ष के प्रावधान को बढ़ाकर 4 करोड़ रूपये किया जायेगा।

168. केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली-मुंबई डेडिकेटेड फ्रेट कारीडोर की स्थापना की जा रही है, जिसकी कुल लंबाई 1 हजार 483 किलोमीटर है। इस कारीडोर का 39 प्रतिशत भाग राजस्थान से होकर गुजरेगा। फ्रेट कारीडोर के दोनों तरफ लगभग 150 किलोमीटर भाग को इंडस्ट्रियल कारीडोर के रूप में विकसित किया जायेगा। इन कारीडोर्स की स्थापना एवं संभावित नेशनल मेन्यूफेक्चरिंग जोन के मद्देनजर प्रारंभिक तैयारियां की जा रही हैं।

169. सिरेमिक एवं ग्लास हेतु राज्य में प्रचुर मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध है, किंतु इनके मूल्य संवर्धन हेतु पर्याप्त संख्या में उद्योग स्थापित नहीं हो सके हैं। अत: यह निर्णय लिया गया है कि नीमराना के पास घीलोट में विकसित होने वाले औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 750 एकड़ भूमि सिरेमिक हब हेतु आरक्षित की जाये।

170. रीको के औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि आवंटन हेतु नि:शक्तजनों को 15 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत एवं महिलाओं को 10 प्रतिशत के स्थान पर 25 प्रतिशत रियायत देने की मैं घोषणा करता हूं।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): 000

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): 171. वस्त्र मंत्रालय की एकीकृत दक्षता विकास योजना के तहत भीलवाड़ा, भिवाड़ी, पाली, बालोतरा एवं जोधपुर आदि वस्त्र उद्योग बाहुल्य क्षेत्रों में आगामी 2 वर्षों में एपेरल ट्रेनिंग एण्ड डवलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा 10 स्मार्ट केंद्र स्थापित कर इनके माध्यम से लगभग 12 हजार युवाओं एवं महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाकर उन्हें वस्त्र उद्योगों में रोजगार के अवसर मुहैया करवाये जायेंगे। इन केन्द्रों की स्थापना से निवेश की संभावनायें बढ़ेंगी। आगामी वर्ष 5 प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से लगभग 6 हजार युवाओं एवं महिलाओं को प्रशिक्षित किया जायेगा, जिसके लिए राज्य सरकार 2 हजार रूपये प्रति व्यक्ति की दर से सहायता उपलब्ध करायेगी।

172. औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े, करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, बारां तथा प्रतापगढ़ जिलों में निवेश को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से रीको द्वारा आवंटित भूखण्डों पर उत्पादन शीघ्र प्रारंभ करने हेतु प्रोत्साहन पैकेज लागू किया जायेगा।

पैट्रोलियम एवं खनिज:

173. राज्य में पैट्रोलियम रिफाइनरी की स्थापना के संबंध में गठित समिति द्वारा सिफारिश की गई है कि प्रथम चरण में बाड़मेर में 4.5 से 6 मिलियन टन वार्षिक क्षमता की रिफाइनरी की स्थापना की जा सकती है । समिति ने राज्य सरकार को सुझाव दिया है कि वह परियोजना लागत के 26 प्रतिशत तक इक्विटी सहभागिता करे तथा तेल विपणन कंपनियों से 5 प्रतिशत डिस्काउंट पर मार्केटिंग टाइअप किये जायें और रिफाइनरी को कच्चे तेल की खरीद पर 1 डॉलर प्रति बैरल की सहायता दी जाये। राज्य सरकार द्वारा समिति की अनुशंसा मान ली गई है तथा प्रकरण केन्द्र सरकार को अग्रेषित किया गया है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा राजस्थान रिफाइनरी में 5 प्रतिशत इक्विटी सहभागिता हेतु अपनी सहमति दे दी गई है तथा ओएनजीसी से राज्य सरकार के अधिकारियों का विचार-विमर्श जारी है जिसके सकारात्मक परिणाम आने की आशा है।

174. माननीय सदस्यों को विदित है कि राज्य सरकार द्वारा हाल ही में 7 फरवरी, 2011 को भारत पैट्रोलियम लिमिटेड के साथ रिफाइनरी उत्पादों के विपणन हेतु मुंबई में एमओयू भी निष्पादित किया गया है जो रिफाइनरी स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

175. राज्य में खनिज तथा पैट्रोलियम की राजस्व प्राप्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आगामी वर्ष में राजस्व वृद्धि के साथ-साथ हमारा उद्देश्य अवैध खनन पर अंकुश लगाना तथा पर्यावरण सुरक्षा एवं खान श्रमिकों के कल्याण की ओर विशेष ध्यान देना होगा।

176. बार्डर होमगार्ड्स के जवानों ने अवैध खनन रोकने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है। आगामी वर्ष भी बार्डर होमगार्ड्स की 5 बटालियनें विभिन्न क्षेत्रों में तैनात की जायेंगी जिन पर लगभग 8 करोड़ रूपये खर्च होंगे। आगामी वर्ष खान एवं भूगर्भ विभाग की सतर्कता शाखा का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा।

177. विश्व प्रसिद्ध मकराना मार्बल के, वैज्ञानिक एवं सुरक्षित दोहन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से मकराना-परबतसर रेल मार्ग के डाइवर्जन के कार्य को शीघ्र पूरा करने हेतु राज्य सरकार द्वारा 7 करोड़ रूपये की राशि रेलवे को उपलब्ध कराई गई है। इस डाइवर्जन के पूरा होने पर, जहां मकराना मार्बल के सुरक्षित खनन हेतु अधिक भूमि उपलब्ध होगी, वहीं परबतसर के निवासियों को रेल सुविधा भी उपलब्ध हो सकेगी।

परिवहन:

178. राज्य में वाहनों की संख्या में निरंतर बढ़ोत्तरी हो रही है। वर्ष 2011 में राज्य में पंजीकृत वाहनों की संख्या 77 लाख से अधिक होने का अनुमान है। वाहनों की संख्या में बढ़ोत्तरी से परिवहन विभाग का रोजमर्रा का कार्य तो बढ़ा ही है, साथ ही विभाग के लिए आवश्यक हो गया है कि सड़क सुरक्षा संबंधी उपायों पर भी विशेष ध्यान दिया जाये।

179. राज्य सरकार द्वारा गठित रोड सेफ्टी काउंसिल के सुझाव प्राप्त हो गये हैं तथा उन पर अमल भी शुरू किया जा चुका है। काउंसिल की सिफारिशों को लागू करने के

लिए मैं 10 करोड़ रूपये के प्रारंभिक अंशदान से रोड सेफ्टी फंड के गठन की घोषणा करता हूं।

180. लर्निंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी एवं सुगम बनाया जायेगा। प्रथम चरण में आगामी वर्ष सभी संभागीय मुख्यालयों में आनलाइन लर्नर लाइसेंस एप्लीकेशन की व्यवस्था की जायेगी। आगामी दो वर्षों में, लर्नर लाइसेंस परीक्षा के उपरांत, सभी चालकों को सड़क सुरक्षा के बारे में प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था की जायेगी।

181. सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में लगभग 14 करोड़ रूपये की लागत से रिकार्ड रूम निर्मित करवाये जायेंगे। रिकार्ड रूम में, रिकार्ड की ट्रेकिंग सोफ्टवेयर के माध्यम से की जा सकेगी।

182. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम आगामी वर्ष अपने बेड़े में एक हजार नई बसें शामिल करेगा। ग्रामीण क्षत्रों में निगम द्वारा पीपीपी माडल पर अपनी सेवाओं का विस्तार किया जायेगा और अगले तीन वर्षों में समस्त पंचायत मुख्यालयों को बसों से जोड़ा जायेगा। निगम की वित्तीय स्थिति में सुधार हेतु इसका रिस्ट्रक्चरिंग किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा रियायती यात्राओं एवं डीजल पर वैट के आंशिक भुगतान हेतु निगम को आगामी वर्ष 45 करोड़ रूपये का अनुदान उपलब्ध करवाया जायेगा।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला):000

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): 183. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में रियायती यात्रा हेतु वरिष्ठ नागरिकों की आयुसीमा 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष किये जाने की, मैं घोषणा करता हूं।

स्थानीय निकाय एवं शहरी विकास:

184. केन्द्र सरकार द्वारा लागू की जा रही राजीव आवास योजना के अंतर्गत कच्ची बस्तियों में रहने वाले परिवारों को सस्ते मकान उपलब्ध करवाने की दृष्टि से राज्य के शहरों का सर्वे करवाया जा रहा है। प्रांरभिक आंकड़ों के अनुसार 3 लाख परिवारों का सर्वे हुआ है एवं सर्वे पूर्ण होने पर इस संख्या में वृद्धि होगी। केन्द्र सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर इन परिवारों को सस्ते मकान उपलब्ध करवाये जायेंगे।

185. सभी नगरीय निकायों में स्थायी रैन-बसेरों का चरणबद्ध रूप से निर्माण करवाया जायेगा। प्रथम चरण में 10 करोड़ रूपये की लागत से 50 रैन बसेरों का निर्माण कर इनमें पुरूषों एवं महिलाओं के लिए अलग-अलग व्यवस्था की जायेगी।

186. मैंने पिछले बजट भाषण में राज्य के विभिन्न शहरों में चरणबद्ध रूप से आरओबी बनाने की घोषणा की थी। मुझे माननीय सदन को अवगत कराते हुए खुशी है कि राज्य सरकार के प्रयासों से रेल मंत्रालय द्वारा राज्य में 29 आरओबी स्वीकृत किये गये हैं, जो राज्य के इतिहास में सर्वाधिक हैं। इनके लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकार अथवा नगरीय निकायों द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जायेगी। इनमें से आगामी वर्ष में

25 आरओबी का निर्माण कार्य करवाया जायेगा। इसके अलावा 5 आरओबी का निर्माण राज्य सरकार व नगरीय निकाय अपने स्रोतों से करायेंगी।

187. उपरोक्त के अलावा बीकानेर शहर में रेलवे लाइन के कारण यातायात की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए निर्माणाधीन गजनेर आरओबी के अतिरिक्त चौखूंटी रेलवे क्रोसिंग पर भी लगभग 20 करोड़ रूपये की लागत से आरओबी बनाया जायेगा। इसके अतिरिक्त पाली शहर में भी 22 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से आरओबी के निर्माण का कार्य आरएसआरडीसीसी के माध्यम से करवाया जायेगा।

आगामी वर्ष निर्मित कराये जाने वाले आरओबीज का विवरण एवं अनुमानित लागत इस प्रकार है :-

1.	अजमेर	नरेली रोड, अजमेर सिटी	42 करोड़ रूपये
2.	अलवर	अलवर यार्ड	26 करोड़ रूपये
3.	जयपुर	कनकपुरा धानक्या	44 करोड़ रूपये
4.	जयपुर	जाटावाली से कालाडेरा वाया चौमूं	41 करोड़ रूपये
5.	जयपुर	आगरा रोड बस्सी यार्ड	43 करोड़ रूपये
6.	जयपुर	जयपुर खातीपुरा सी-जोनबाईपास के पास	41 करोड़ रूपये
7.	जयपुर	झोटवाड़ा रोड दादी का फाटक सीकर लाइन	42 करोड़ रूपये
8.	जोधपुऱ	जोधपुर ओसियां रोड पर माणकलाव के पास	36 करोड़ रूपये
9.	जोधपुर	पावटा बी रोड लिंक रोड नेशनल हाइवे-65	25 करोड़ रूपये
10.	जोधपुर	आरटीओ के पास	30 करोड़ रूपये
11.	जोधपुर	सारंग नगर के पास	32 करोड़ रूपये
12.	अजमेर	किशनगढ़ गीगल खेड़ी अजमेर किशनगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग	45 करोड़ रूपये
13.	नागौर	कुचामन सिटी मकराना	26 करोड़ रूपये
14.	सीकर	रींगस शहर	33 करोड़ रूपये
15.	सीकर	नीमकाथाना शहर	33 करोड़ रूपये
16.	श्रीगंगानगर	सूरतगढ़ जंक्शन के पास	29 करोड़ रूपये
17.	श्रीगंगानगर	आजाद सिनेमा के पास	33 करोड़ रूपये
18.	बाड़मेर	सर्किट हाउस के पास	16 करोड़ रूपये
19.	अलवर	अलवर मथुरा बाइपास	41 करोड़ रूपये
20.	चित्तौड़गढ़	कुंभानगर	9 करोड़ रूपये

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): 000

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री) :

21.	कोटा	माला रोड	28 करोड़ रूपये
22.	करौली	स्टेशन रोड, हिंडौन	48 करोड़ रूपये

23.	अलवर	कला महाविद्यालय के पास	18 करोड़ रूपये
24.	जोधपुर	खतरनाक पुलिया के पास	35 करोड़ रूपये
25.	जोधपुर	राष्ट्रीय राजमार्ग 65 एवं 112 का लिंक	26 करोड़ रूपये
26.	श्रीगंगानगर	संगरिया कस्बा	26 करोड़ रूपये
27.	कोटा	कोटा बूंदी रोड	28 करोड़ रूपये
28.	झालावाड़	संवासरा(एमडीआर 67)	16 करोड़ रूपये
29.	करौली	नादौती श्रीमहावीरजी(एमडीआर 67)	19 करोड़ रूपये
30.	जयपुर	फुलेरा जोबनेर रोड (एमडीआर 59)	22 करोड़ रूपये
31.	बीकानेर	चौखूंटी रेलवे क्रोसिंग	20 करोड़ रूपये
32.	पाली	पाली शहर	22 करोड़ रूपये

188. इस प्रकार आगामी वर्ष में राज्य के विभिन्न हिस्सों में कुल 32 आरओबी का निर्माण प्रारंभ किया जायेगा।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (नदबई): 000

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): 189. राज्य सरकार द्वारा राजस्थान शहरी ढांचागत विकास परियोजना(आरयूआईडीपी) के तृतीय चरण के अंतर्गत एशियन विकास बैंक से लगभग 900 करोड़ रूपये का ऋण लेकर राज्य के शहरों एवं कस्बों में आधारभूत सुविधाओं को विकसित किया जायेगा।

190. बांसवाड़ा, फतेहपुर शेखावाटी, श्रीगंगानगर, नाथद्वारा, बालोतरा, डीडवाना, मकराना में सीवरेज परियोजनाएं तथा सांगोद में जल परियोजना, जिनकी कुल लागत लगभग 311 करोड़ रूपये है, क्रियान्वित की जायेंगी। इस राशि में से, 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी तथा शेष राशि, संबंधित नगरीय निकायों द्वारा, स्वयं के संसाधनों अथवा ऋण लेकर, वहन की जायेगी।

191. जयपुर के दक्षिणी भाग में 47 किलोमीटर लंबाई की रिंग रोड का निर्माण कार्य बीओटी आधार पर शीघ्र प्रारंभ किया जायेगा।

192. जयपुर में यातायात व्यवस्था में सुधार लाने हेतु, दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन(डीएमआरसी) के सहयोग से, मेट्रो रेल परियोजना तैयार की गई है। इस परियोजना को दो चरणों में लागू किया जायेगा। प्रथम चरण में, राज्य सरकार के अपने संसाधनों से, डीएमआरसी के माध्यम से, लगभग 1 हजार 250 करोड़ रूपये की लागत के सिविल कार्य प्रारंभ हो गये हैं। प्रथम चरण की भारत सरकार ने सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी है। इसके साथ-साथ दूसरा चरण, जो पीपीपी मॉडल पर क्रियान्वित किया जायेगा, के लिए अग्रिम कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। इस हेतु भी केन्द्रीय मंत्रीजी ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है।

193. राज्य में स्थित झीलों के संरक्षण हेतु राजस्थान झील विकास प्राधिकरण का गठन किया जायेगा।

194. जयपुर व अन्य शहरों में हैरीटेल कंजर्वेशन हेतु विशेष प्रयास किये जायेकंगे। राज्य में इंस्टीट्यूट आफ म्युजियम एण्ड हेरीटेज स्टडीज की स्थापना करने की मैं घोषणा करता हूं। इस इंस्टीट्यूट की स्थापना एवं हैरीटेज कंजर्वेशन के कार्यों हेतु, आगामी वर्ष 10 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान करना प्रस्तावित है।

Lpm/usc/1240-1300/9032011/1l 1m

195. प्रशासन गांवों के संग अभियान पूर्णत: सफल रहा, अत: आगामी वर्ष 2 अक्टूबर से, 'प्रशासन शहरों के संग अभियान-2011' चलाया जाएगा, ताकि शहरी नागरिकों की विभिन्न समस्याओं का शीघ्र निराकरण हो सके। इसकी सफलता हेतु सदन के पक्ष प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों के सहयोग की अपेक्षा है।

196. तेरहवें वित्त आयोग द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों हेतु performance grant की पात्रता हेतु अन्य शर्तों के साथ, एक शर्त यह भी निर्धारित की गई है कि, संसाधन विकसित करने हेतु निकायों द्वारा 'संपत्ति कर' की वसूली की जाये। वर्तमान में संपत्ति कर का आकलन, क्षेत्रफल एवं मूल्य आधारित जटिल प्रक्रिया से किया जाता है। अत: सर्वसाधारण की सुविधा को देखते हुए राज्य में 'संपत्ति कर' का निर्धारण, Unit Area Method से किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु नागरिकों को self assessment की सुविधा भी दी जायेगी।

197. राज्य के नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति कमजोर है और आम जनता को इनसे काफी अपेक्षायें रहती हैं। अत: इनकी सहायतार्थ, केन्द्रीय एवं राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों, चुंगी के पेटे क्षतिपूर्ति, शहरी विकास कोष, करों में हिस्से एवं स्ट्रीट लाईट की बकाया, के पेटे आगामी वर्ष राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों को 1 हजार 453 करोड़ रुपए की सहायता राशि उपलब्ध करवाना प्रस्तावित है।

पर्यटन:

198. प्रदेश में Adventure Tourism के विकास की विपुल संभावनायें हैं। अंतरराष्ट्रीय पतंग एवं बैलून महोत्वस की सफलता को देखते हुए भविष्य में भी ऐसे महोत्सव आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा आगामी वित्तीय वर्ष में सिलिसेड में वॉटर स्पोर्ट्स, लाखेला तालाब-कुंभलगढ़ में नौकायन, बादल महल-कुभलगढ़ से रणकपुर तक एवं रणकपुर से जवाई बाँध तक ट्रेकिंग पॉथ तथा जैसलमेर के सम क्षेत्र में, 'एडवेंचर स्पोर्ट्स' की योजना अमल में लायी जाएगी। इन कार्यों पर लगभग 1 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च होंगे।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): 000

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): 199. जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित ही है कि जंतर-मंतर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहरों की सूची में सम्मिलित किया गया है। यह हमारे प्रदेश के लिए गौरव की बात है। आगामी वर्ष जंतर-मंतर के सौंदर्यीकरण पर 2 करोड़ रुपए व्यय होंगे।

200. आगामी वर्ष नगरी-चित्तौड़गढ़, सहेलियों की बाड़ी-उदयपुर, बाडोली मंदिर-रावतभाटा, घंटाघर-जोधपुर, पटवों की हवेली-जैसलमेर, अर्थुना मंदिर-डूंगरपुर, कोल्वी की गुफायें-झालावाड़, मण्डावा की हवेलियां-झुंझुनूं, बाली फोर्ट-पाली, शेरगढ़-जोधपुर के पर्यटन स्थलों के सौंदर्यीकरण हेतु आवश्यक आधारभूत सुविधायें विकसित की जाएंगी। आगामी वर्ष इन स्थलों के सौंदर्यीकरण पर 2 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

201. राजस्थान के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल, कैलादेवी-करौली, निंबेश्वर महादेव-पाली, मेंहदीपुर बालाजी-दौसा, सालासर बालाजी-चूरू एवं खाटूश्यामजी-सीकर और दरगाह शरीफ-अजमेर में 1 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से आवश्यकतानुसार विकास कार्य करवाये जाएंगे।

202. राजस्थान के प्रसिद्ध मेले, जैसे सांवलियाजी मेला-चित्तौडगढ़, सिंदरू मेला-पाली, गोतमेश्वर मेला-प्रतापगढ़, गोगामेडी मेला-हनुमानगढ़, रामदेवरा मेला-जैसलमेर एवं ऐसे अन्य मेलों के आयोजन हेतु आधारभूत सुविधायें विकसित करने पर आगामी वर्ष 1 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।

203. पर्यटन इकाई नीति-2997 के तहत इकाइयों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में राजकीय भूमि का आवंटन, स्थानीय क्षेत्र की DLC दरों पर किया जा रहा है। एग्रो प्रोसेसिंग इकाइयों की भांति, पर्यटन इकाइयों के लिए, जिला कलक्टर द्वारा 10 हैक्टेयर तक की भूमि का रूपान्तरण किया जा सकेगा।

204. पर्यटन क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से पर्यटन इकाई नीति की अवधि मार्च,2013 तक बढ़ाने की मैं घोषणा करता हूं।

205. ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु गत तीन वर्षों में 8 जिलों के 9 गांवों का विकास किया जा चुका है। आगामी वर्ष इस योजना के अंतर्गत, अजमेर में बघेरा, कोटा में डूंगरजा, जयपुर में माधोगढ़, दौसा में लोटवाड़ा, जैसलमेर में खाबा, जालौर में सुंधामाता, बाड़मेर में किराडू, झालावाड़ में कोलवी, पाली में रणकपुर, करौली में कैलादेवी, धौलपुर में बिसरोदा एवं बूंदी में भीमलत गांवों को पर्यटन हेतु विकसित किया जाएगा। आगामी वर्ष इन गांवों के विकास हेतु 50 लाख रुपए प्रति गांव की दर से खर्च किए जाएंगे।

206. चित्तौड़गढ़, आमेर एवं कुंभलगढ़ दुर्ग पर लाईट एण्ड साउण्ड शो की सफलता को देखते हुए, बीकानेर में जूनागढ़ फोर्ट एवं उदयपुर में सज्जनगढ़ फोर्ट पर लाईट एण्ड साउण्ड शो प्रारंभ किए जाएंगे।

207. मण्डावा, नीमराना, सामोद एवं अन्य महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों को जोड़ने वाली सड़कों के सुधार एवं मरम्मत के कार्य करवाये जाएंगे।

208. राजस्थान में पर्यटकों हेतु आवास सुविधा में कमी एवं पर्यटकों के आगमन में वृद्धि को देखते हुए 'पेइंग गेस्ट आवास योजना' को बढ़ावा दिया जाएगा।

कला एवं संस्कृति:

209. कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में, वाद्य, गायन, नृत्य, अभिनय, मूर्तिकला, पेंटिंग तथा फोटोग्राफी जैसे क्षेत्रों में, उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदेश के प्रतिष्ठित कलाकारों का सम्मान किया जाएगा।

210. प्रदेश के सभी संभागीय मुख्यालयों पर, आगामी वर्ष तीन दिवसीय कला, साहित्य एवं संस्कृति मेलों का भव्य आयोजन किया जाएगा, जिस पर 1 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा।

211. मुझे माननीय सदस्यों को अवगत कराते हुए खुशी है कि उपाध्यक्ष, योजना आयोग द्वारा सवाई मानसिंह टाऊन हॉल एवं जलेबी चौक, जयपुर में International Museum and Art Square की स्थापना हेतु अतिरिक्त अनुदान देने की घोषणा की गई है। इसके विकास हेतु 45 करोड़ रुपए की परियोजना में से 30 प्रतिशत राशि योजना आयोग द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

212. स्वामी विवेकानन्द की 150वीं जन्म तिथि के उपलक्ष्य में, रामकृष्ण मिशन द्वारा खेतड़ी में विवेकानन्द स्मृति म्यूजियम स्थापित करने हेतु, राज्य सरकार द्वारा 50 लाख रुपए का अंशदान देने की मैं घोषणा करता हूं।

213. राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने पर प्रदेश के कलाकारों को 51 हजार रुपए का नकद पुरस्कार एवं राजकीय सम्मान पत्र प्रदान किया जाएगा।

देवस्थान:

214. राज्य के 48 हजार 359 मंदिरों को, भूमियों के पुनर्ग्रहण के बदले, वार्षिकी के रूप में देय क्षति-पूर्ति राशि को बढ़ाकर, न्यूनतम 1 हजार 200 रुपए प्रतिवर्ष करने की मैं घोषणा करता हूं। वर्तमान में वार्षिकी के रूप में मात्र 12 लाख रुपए का भुगतान होता है जो प्रस्तावित बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप 5 करोड़ 92 लाख रुपए होगा। इसी प्रकार राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार एवं आत्मनिर्भर मंदिरों हेतु वर्ष 1997 में तय की गई भोग राशि में 50 प्रतिशत राशि की वृद्धि की जाएगी।

215. श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु गोगामेडी, कैलादेवी झील का वाड़ा-भरतपुर, मंदिर श्री तेजाजी-नागौर, बेणेश्वरधाम एवं रामदेवरा में, प्रत्येक में 50-50 लाख रुपए की लागत के कार्य करवाये जाएंगे।

216. आगामी वर्ष राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार एवं आत्मनिर्भर मंदिरों के जीर्णोद्धार पर 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें से 5 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा एवं 5 करोड़ रुपए देवस्थान निधि से वहन किये जाएंगे।

217. कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर राज्य से जाने वाले श्रद्धालुओं को राज्य सरकार द्वारा 20 हजार रुपए प्रति व्यक्ति की दर से सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 000

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): मोहन लाल गुप्ता को...

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): 000

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): गृह:

218. राज्य में कानून व्यवस्था एवं अपराधों के अनुसंधान हेतु लगभग 70 जार पुलिसकर्मी कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त 7 हजार 300 कॉस्टेब्लस की भंर्ती प्रक्रियाधीन है। पारदर्शिता की दृष्टि से कॉस्टेबल्स की भर्ती हेतु साक्षात्कार की प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है। पुलिस कर्मियों की आवश्यकता को देखते हुए इनके मानदण्ड निर्धारित किए जाएंगे। आगामी 3 वर्षों में, सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप रिक्त होने वाले पदों सहित लगभग 12 हजार पुलिस कर्मियों की भर्ती की जाएगी।

219. तेरहवें वित्त आयोग की 100 करोड़ रुपए की अनुदान राशि से पुलिस, जेल, होमगार्ड एवं विधि विज्ञान प्रयोगशाला कर्मियों को प्रशिक्षित करने हेतु, आधारभूत सुविधाओं का आगामी तीन वर्षों में विस्तार किया जाएगा।

220. आगामी वर्ष धौलपुर ग्रामीण, केशोरायपाटन, जहाजपुर, मानपुर-दौसा व बीकानेर में 5 नये उप-अधीक्षक कार्यालय स्थापित किए जाएंगे। पूर्व वर्षो की भांति आगामी वर्ष भी जयपुर, जोधपुर, राजसमन्द, बूंदी और सिरोही में नये महिला थाने स्थापित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त अनंतपुरा-कोटा, लांगरा-करौली, सज्जनगढ़-बांसवाड़ा, चूरू सदर व चित्तौड़गढ़ सदर में नये थाने खोले जाएंगे। गांधीनगर-किशनगढ़, मेंहदीपुर बालाजी-दौसा, बसवा-दौसा एवं गोगामेडी-हनुमानगढ़ पुलिस चौकियों को थानों में क्रमोन्नत किया जाएगा। पुलिस थाना पुष्कर को क्रमोन्नत करते हुए निरीक्षक स्तर का किया जाएगा।

221. आगामी वर्ष जनाना अस्पताल-जयपुर शहर, मानपुरा-माचेड़ी-जयपुर ग्रामीण, करणीनगर-बीकानेर, सारस का चौराहा-भतरपुर, केवड़ा की नाल-उदयपुर, ज्वाला प्रसाद नगर-अजमेर, आगोलाई-जोधपुर, खैराबाद-कोटा, स्वरूपगंज-भीलवाड़ा एवं सुरेसिया-हनुमानगढ़ में 10 नई पुलिस चौकियां खोली जाएंगी।

222. राज्य के अनेक पुलिस थानों के भवन काफी पुराने हैं। अत: उनकी मरम्मत एवं रख रखाव के लिए, आगामी वर्ष 10 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

223. वर्तमान में राज्य के 9 जिलों में पासपोर्ट हेतु पारपत्र केन्द्र कार्यरत हैं। आगामी वर्ष शेष 24 जिलों में भी ऐसे केन्द्र खोले जाएंगे ताकि पासपोर्ट हेतु स्वयं के जिलों में ही आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध हो सके।

224. नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा की अग्निशमन सेवा तथा स्थानीय निकायों की अग्निशमन सेवाओं को समाहित करते हुए एक एकीकृत अग्निशमन सेवा का गठन किया जाएगा एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी। आगामी वर्ष इस सेवा के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है।

225. कारागार व्यवस्था में सुधार लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसके सुझाव प्राप्त हो गये हैं। इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए, आगामी वर्षों में, कारागार व्यवस्था में आवश्यक सुधार किए जाएंगे। राज्य के कारागारों की क्षमता में आगामी तीन वर्षों में 5 हजार की बढ़ोतरी करने की योजना है। अजमेर में एक नये उच्च सुरक्षा कारागार भवन, दौसा और बीकानेर में दंडित बंदियों के लिए तथा कोटा में विचाराधीन बंदियों के लिए नये कारागार भवनों का निर्माण करवाया जाएगा। जयपुर केंद्रीय कारागार को दो हिस्सों में बांटते हुए विचाराधीन व दंडित बंदियों के लिए, अलग-अलग कारागार परिसरों का निर्माण करवाया जाएगा। इन सभी कार्यों पर लगभग 116 करोड़ रुपयों की लागत आएगी, जिसमें से लगभग 35 करोड़ रुपए आगामी वर्ष में व्यय किया जाना संभावित है।

226. केन्द्रीय कारागारों में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए क्लोज सर्किट टीवी, बैगेज स्केनर एवं वीडियो कांफ्रेसिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।

227. कारागारों हेतु 550 प्रहरियों के रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। आगामी वर्ष कारागारों हेतु प्रहरियों सहित विभिन्न श्रेणियों के 500 पदों पर और भर्ती करने की मैं घोषणा करता हूं।

228. आतंकवादियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु जयपुर तथा जोधपुर में एन्टी टेरेरिस्ट स्क्वाड (ATS) स्थापित है। आगामी वर्ष उदयपुर, कोटा एवं अजमेर में भी एन्टी टेरेरिस्ट स्क्वाड (ATS) का गठन किया जाना प्रस्तावित है।

न्याय प्रशासन:

229. राज्य में वर्तमान में 13 पारिवारिक न्यायालय स्वीकृत हैं। आगामी वर्ष 15 नये पारिवारिक न्यायालयों की और स्थापना करना प्रस्तावित है।

230. राज्य में वादकरण के प्रभावी प्रबंधन हेतु वादकरण नीति जारी की जाएगी।

राजस्व:

231. वर्तमान में राज्य में भूमि अवाप्ति की नीति बनी हुई नहीं है। अत: विकास कार्यों एवं विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु यथा संभव कृषि भूमि को सुरक्षित रखते हुए, मैं राज्य में नई भूमि अवाप्ति नीति जारी करने की घोषणा करता हूं, जिसे आगामी 3 माह में लागू कर दिया जाएगा।

232. वर्ष 2010-11 में उपखण्ड अधिकारियों एवं तहसीलदारों हेतु 119 वाहन क्रय किए गए हैं तथा आगामी वर्ष 125 वाहन और क्रय किया जाना प्रस्तावित है, जिस पर 7 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके अतिरिक्त आगामी वर्ष तहसील एवं उपखण्ड कार्यालय भवनों की मरम्मत एवं रख रखाव के लिए 10 करोड़ रुपए एवं आवास निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाये जाएंगे।

233. राज्य में 10 हजार 40 पटवार सर्किल स्वीकृत हैं, जिनमें से 6 हजार 396 स्थानों पर पटवार भवन बने हुए हैं। आगामी वर्ष नाबार्ड की ऋण सहायता से 1 हजार

पटवार भवनों का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है, जिस पर लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इन पटवार घरों का निर्माण जनजाति एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा।

234. राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम,1957 के अंतर्गत पटवारियों की सेवा की गणना, सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद, नियुक्ति की तिथि से प्रारंभ होती है। मैं प्रस्तावित करता हूं कि भविष्य में प्रशिक्षण पर कार्य ग्रहण करने की तिथि से ही सेवा की गणना का लाभ दिया जाएगा।

235. पटवार हलकों में सहयोग हेतु लिए जाने वाले ग्राम प्रतिहारियों (Chain-man) को वर्तमान में 4 माह की अवधि के लिए 1 हजार 600 रुपए मानदेय मिल रहा है, जिसे बढ़ाकर 3 हजार रुपए किया जाएगा।

प्रशासनिक सुधार:

236. सुशासन की दृष्टि से यह आवश्यक है कि सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ लक्षित समूह को निर्धारित समय सीमा में सुगमता से उपलब्ध हो। इसे सुनिश्चित करने के लिए 'Guaranteed Delivery of Public Service Act' लागू किया जाएगा।

सामान्य प्रशासन:

237. धौलपुर, भतरपुर, करौली, चित्तौड़गढ़-प्रतापगढ़, चूरू, दौसा, टोंक-बूंदी, बारां तथा हनुमानगढ़ में हवाई पट्टियों का निर्माण करवाया जाएगा।

238. कई बार यह देखा गया है कि आम नागरिकों को उनकी विभिन्न विभागों में बकाया राशियां प्राप्त करने के लिए बार-बार संपर्क करना पड़ता है। अत: सरकार में pending claims के निपटारे के लिए विशेष अभियान चलाकर, ऐसे मामलों का 3 माह में निस्तारण किया जाएगा।

239. राजस्थान लोक सेवा आयोग अथवा किसी भी अन्य राजकीय विभाग, निगम, बोर्ड में नवीन नियुक्ति हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने पर, सभी वर्गों के बेरोजगार अभ्यर्थियों को, बस-रेल किराये की राशि का पुनर्भरण किया जाएगा।

स्वतंत्रता सैनानी:

240. स्वतंत्रता सैनानियों के त्याग एवं इनको वृद्धावस्था में आ रही परेशानियों को देखते हुए पेंशन राशि को 10 हजार रुपए से बढ़ाकर 15 हजार रुपए करने की मैं घोषणा करता हूं। चिकित्सा सहायता के रूप में एक हजार रुपए प्रतिमाह की दर से राशि अलग से देय होगी।

पत्रकार कल्याण:

241. जिला स्तर पर पत्रकारों को आईटी सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के प्रत्येक जिले में जिला मीडिया सेंटर्स की स्थापना जिला सूचना एवं जनसंपर्क

कार्यालय अथवा सूचना केंद्र में किया जाना प्रस्तावित है। इस पर लगभग 50 लाख रुपए व्यय होंगे।

242. प्रतापगढ़, बारां एवं करौली में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सूचना केंद्र स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं। इन केंद्रों के भवन निर्माण एवं फर्नीचर आदि पर 2 करोड़ 50 लाख रुपए का व्यय होना संभावित है।

243. पत्रकार-साहित्यकार कोष जिसके अंतर्गत पत्रकारों, साहित्यकारों, लेखकों, कवियों, शायरों को सहायता देने का प्रावधान है एवं कलाकार कोष में 2-2 करोड़ रुपए का अंशदान करने की मैं घोषणा करता हूं तथा इनके नियमों में संशोधन करते हुए दायरे एवं देय सुविधाओं में बढ़ोतरी की जाएगी।

कर्मचारी कल्याण:

244. राज्य सरकार के 50 वर्ष से अधिक आयु के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की वर्ष में एक बार सामान्य स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक मेडिकल टेस्टों की निशुल्क व्यवस्था की जाएगी।

245. राज्य सेवा के सभी अधिकारियों को अपने संपूर्ण सेवाकाल में 3 प्रशिक्षण प्राप्त करने की व्यवस्था की जाएगी ताकि उनकी कार्य कुशलता एवं दक्षता में बढ़ोतरी हो सके।

246. पूर्व में 31 दिसम्बर, 1988 तक नियुक्त 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने वाले प्रभारित कर्मचारियों (Work-charged Employees) को समय-समय पर नियमित किया जाकर उन पर राजस्थान सेवा नियम लागू किये गये हैं। कर्मचारियों की मांग को दृष्टिगत रखते हुए शेष कार्य प्रभारित कर्मचारियों को भी, पूर्व की भांति, नियमित करके उन पर राजस्थान सेवा नियमों के प्रावधान लागू करना प्रस्तावित है।

247. विशिष्ट परिस्थितियों में ड्यूटी के दौरान राज्य कर्मचारी की मृत्यु होने पर पेंशन नियमों के अंतर्गत उनके आश्रितों को देय अनुग्रह अनुदान की राशि को मैंने फरवरी 2009 में 1 लाख 25 हजार रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया था। अब इस राशि की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने की मैं घोषणा करता हूं। सेवा नियमों के अंतर्गत चुनाव कार्यों में नियोजित होम गाड्र्स स्वयंसेवकों एवं गैर-सरकारी व्यक्तियों की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को देय अनुग्रह अनुदान राशि को फरवरी 2009 में 60 हजार रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की गई थी। अब इस राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जाना प्रस्तावित है।

248. वर्तमान में तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण किए बिना अथवा परिवीक्षा काल के दौरान किसी कर्मचारी की राजकीय सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रित को अनुकंपात्मक नियुक्ति देने का नियमों में प्रावधान नहीं है। अत: नियमों में संशोधन करके ऐसे कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपात्मक नियुक्ति देने का प्रावधान किया जाएगा।

249. सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए पदोन्नतियों में आरक्षण एवं वरिष्ठता को लेकर माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के संदर्भ में संबंधित आँकड़ों का संकलन किया जा रहा है। सरकार द्वारा इनका अध्ययन कर इस मामले में समुचित निर्णय लिया जाएगा, जिससे पदोन्नतियां शीघ्र की जा सकें।

कर प्रस्ताव

250. अध्यक्ष महोदय अब मैं वर्ष 2011-12 के कर प्रस्ताव आपकी अनुमति से सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं।

Bhs/usc/9.3.11/13.00/1n

251. सर्वप्रथम, मैं राज्य के आम नागरिकों का अभिनंदन करना चाहूंगा, जिनके कर राजस्व रूपी योगदान के बिना राज्य के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मैं सदन के माध्यम से राज्य के नागरिकों को आश्वस्त करता हूं, कि उनके इस योगदान की परिणति राज्य के विकास के रूप में अवश्य ही परिलक्षित होगी।

252. कर प्रस्तावों का दायरा सिर्फ कर दरों में राहत व वृद्धि तक ही सीमित नहीं है, अपितु यह कर प्रशासन हेतु सरकार की भावी नीति का भी परिचायक है। मैं, करदाता के अनुकूल, सरल, सहज एवं पारदर्शी कर प्रशासन हेतु प्रतिबद्ध हूं। नागरिकों एवं व्यवसायियों द्वारा मेरी सरकार में दिखाये गये विश्वास के अनुरूप मैंने अपने गत दो वर्षों के बजट में राजस्व अर्जन प्रक्रिया को सरल बनाने की कोशिश की है, तथा मैं इसे आगे भी बनाये रखूंगा।

253. वर्ष 2010-11 का बजट प्रस्तुत करते समय यह अनुमान लगाया गया था कि इस वित्तीय वर्ष में राज्य का कर राजस्व 19,020 करोड़ रुपये होगा। संशोधित अनुमान 19,415 करोड़ रुपये के हैं। मुझे सदन को यह अवगत कराते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वर्ष 2010-11 के कर राजस्व के संशोधित अनुमान वर्ष 2009-10 के कर राजस्व से लगभग 18 प्रतिशत अधिक हैं।

254. राजस्व में यह वृद्धि प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह के नेतृत्व में केन्द्र सरकार की कुशल वित्तीय नीतियों के साथ-साथ अच्छे मानसून, राज्य सरकार के बेहतर कर प्रशासन, संबंधित विभागीय अधिकारियों के अथक प्रयास एवं प्रक्रिया के सरलीकरण का परिणाम है।

255. यह वृद्धि मेरी सरकार द्वारा उद्योग एवं व्यापार जगत के साथ बनाये गये विश्वास के वातावरण की भी परिचायक है। मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि राज्य सरकार और व्यापारियों के बीच विश्वास और पारदर्शिता को और अधिक मजबूती प्रदान करते हुए हमने, वाणिज्यिक कर विभाग के माध्यम से निवारण, 2010 एवं आई.टी.सी. सत्यापन शिविरों का आयोजन किया, जिनमें व्यापारियों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया।

256. मेरी सरकार इस विश्वास और पारदर्शिता के वातावरण को बनाये रखेगी। इसी क्रम में, मैंने इस वर्ष भी, कर प्रस्तावों में भागीदारी के उद्देश्य से कर परामर्शदात्री समिति की बैठक में किसानों, व्यापारियों, उद्यमियों, कर सलाहकारों एवं गैर सरकारी संस्थाओं की अपेक्षाएं जानकर बजट में यथासंभव समावेश करने का प्रयास किया है। अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ, मैं 2011-12 के कर प्रस्तावों पर आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ूं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): 000

वाणिज्यिक कर

257. अध्यक्ष महोदय, वैट व्यवस्था को लागू किये पाँच वर्ष पूरे हो रहे हैं। इन वर्षों में राज्य के आर्थिक परिदृश्य में प्रगतिशील परिवर्तन आये हैं। गत वर्ष मैंने वैट अधिनियम के अन्तर्गत अनिवार्य पंजीयन हेतु टर्न ओवर की सीमा को पाँच लाख से बढ़ा कर दस लाख रुपये की थी। इसी क्रम में, मैं, राज्य के खुदरा व्यापारी वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए, वार्षिक टर्न ओवर के आधार पर कंपोजिशन योजना अपनाने वाले व्यापारियों के लिए लागू अधिकतम टर्न ओवर की वर्तमान सीमा को पचास लाख रुपये से साठ लाख रुपये किया जाना प्रस्तावित करता हूं।

258. वर्तमान में कर निर्धारण प्रक्रिया में विभाग व व्यापारियों का काफी समय लग रहा है। यदि व्यापारी वित्तीय वर्ष 2009-10 की समस्त रिटर्न एवं देय पर कर दिनांक 31.3.2011 तक जमा करा देते हैं, तो मैं उन पर आरोपित होने वाली शास्ति एवं ब्याज माफ किये जाने की घोषणा करता हूं। ऐसा करने से दो लाख से अधिक व्यापारियों के कर निर्धारण डीम्ड होंगे एवं उन्हें असेसमेंट के लिए कार्यालयों में नहीं आना पड़ेगा।

259. मेरी जानकारी में लाया गया है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के सत्यापन के अभाव में व्यापारियों के विरुद्ध मांग कायम कर दी जाती है जिसके कारण व्यापारियों के रिफण्ड में देरी होती है। व्यापारियों द्वारा रिटर्न की ई-फाइलिंग किये जाने से कर निर्धारण एवं आईटीसी सत्यापन कंप्यूटर के द्वारा हो सकेंगे एवं रिफण्ड में देरी नहीं होगी। अत: मैं आगामी वित्तीय वर्ष से विशिष्ट श्रेणी के व्यापारियों को छोड़ कर, अन्य सभी के लिए रिटर्न की ई-फाइलिंग अनिवार्य करना प्रस्तावित करता हूं।

260. रिटर्न की ई-फाइलिंग करने में कम समय लगे, इस उद्देश्य से वैट एवं सीएसटी रिटर्न फार्म को एकीकृत किया जाना प्रस्तावित है।

261. ई-फाइलिंग करने पर कर निर्धारण स्वत: विभागीय सोफ्टवेयर द्वारा किया जायेगा। अत: भविष्य में कर का भुगतान शत-प्रतिशत ई माध्यम से प्राप्त करना, कर निर्धारण में सहायक होगा। इस उद्देश्य से, प्रथम चरण में, मैं ऐसी व्यापारी जिनका गत वर्ष का वार्षिक कर पाँच लाख रुपये से अधिक हो, के लिए आगामी वित्तीय वर्ष से कर का ई-पेमेंट अनिवार्य करना प्रस्तावित करता हूं।

262. वर्तमान में कतिपय व्यापारियों के लिए माह में दो बार कर जमा कराना अनिवार्य है। चूंकि मैंने इस श्रेणी में आने वाले व्यापारियों के लिए अनिवार्य ई-पेमेंट प्रस्तावित किया

है, अत: मैं, इनके लिए, माह में दो बार के स्थान पर, एक बार कर जमा करना अनिवार्य करना प्रस्तावित करता हूं।

263. डिजिटल सिग्नेचर के अभाव में व्यापारियों को ई-फाइलिंग के पश्चात् रिटर्न की हार्ड कॉपी भी प्रस्तुत करनी होती है। ऐसे व्यापारियों को पृथक से हार्ड कॉपी प्रस्तुत न करना पड़े, इस उद्देश्य से मैं घोषणा करता हूं कि साठ लाख तक के टर्न ओवर वाले व्यापारियों द्वारा चाहे जाने पर, वाणिज्यिक कर विभाग नि:शुल्क डिजिटल सिग्नेचर उपलब्ध करायेगा। साथ ही व्यापारियों को रिटर्न ई-फाइल करने में परेशानी न हो इस हेतु भी विभाग आवश्यक प्रबंध करेगा।

264. कई राज्यों में सीएसटी अधिनियम के घोषणा पत्रों को बेबसाइट के माध्यम से व्यापारियों द्वारा स्वयं डाउनलोड करने की व्यवस्था है। व्यापारियों को और अधिक सहूलियत देने के उद्देश्य से वाणिज्यिक कर विभाग प्रयासरत है कि अन्य राज्यों से पारस्परिक सहमति के आधार पर अपने राज्य में भी ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि व्यापारी उन घोषणा पत्रों को बेबसाइट के माध्यम से स्वयं डाउनलोड कर सकें।

265. अध्यक्ष महोदय, पंजीकृत व्यापारी राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है तथा राज्य के विकास हेतु राजस्व अर्जन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यापारी की इस भूमिका का सम्मान करते हुए मैं, व्यवहारी सम्मान योजना लागू करना प्रस्तावित करता हूं। इस योजना में कुछ श्रेणियों में सर्वाधिक कर जमा कराने वाले व्यापारियों को प्रतिवर्ष जिला एवं राज्य स्तर पर राज-मित्र के रूप में सम्मानित किया जाएगा। इन राज-मित्रों को पूर्व में जारी प्रीविलेज कार्ड योजना के समस्त लाभ भी मिलेंगे।

266. राजस्थान बिक्री कर प्रोत्साहन, कर मुक्ति व डेफरमेंट योजना 1998 के प्रावधानों के अनुसार योजना का लाभ ले चुके उद्योगों को आगामी पांच वर्षों तक पूर्व के वर्षों का औसत उत्पादन करना अनिवार्य है। मेरे ध्यान में लाया गया है कि व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण उद्यमी इस शर्त की पालना नहीं कर पा रहे हैं। अत: उद्योग जगत की मांग पर इस समस्या का निराकरण किया जाना प्रस्तावित है।

267. आरआईपीएस 2010 में पात्र उद्यमी द्वारा जमा कराये गये कर की तीस प्रतिशत राशि इन्वेस्टमेंट सब्सीडी के रूप में देय है। व्यापारियों की मांग है कि यह सब्सीडी स्वत: एवं शीघ्र दी जाए। अत: योजना के अधीन पात्र उद्यमी को इस सब्सीडी की राशि का भुगतान ई माध्यम से, रिटर्न प्रस्तुत करने के अंतिम तिथि के तीस दिवस में दिया जाना प्रस्तावित है।

268. आरआईपीएस 2010 में इन्वेस्टमेंट सब्सीडी के साथ-साथ एम्प्लायमेंट जनरेशन सब्सीडी भी देय है। यह राशि 10 हजार रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष एवं महिलाओं तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के लोगों एवं नि:शक्तजनों के मामले में 12 हजार रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है। राज्य के उद्यमियों को और अधिक प्रोत्साहित करने के

उद्देश्य से मैं, इन राशियों को बढ़ा कर क्रमश: 15 हजार व 18 हजार करने की घोषणा करता हूं।

269. इसी क्रम में मैं, कृषि क्षेत्र के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से एग्रो प्रोसेसिंग पॉलिसी 2010 के अन्तर्गत देय अतिरिक्त रोजगार आधारित प्रोत्साहन राशि को दो हजार रुपये बढ़ाये जाने की घोषणा करता हूं।

270. वर्तमान में ट्रेक्टर को छोड़ कर सभी प्रकार के मोटर वाहनों एवं उनके पार्ट्स व एसेसरीज पर 14 प्रतिशत वैट तथा 1 प्रतिशत प्रवेश कर दोनों देय है। व्यावसायिक संगठनों की मांग पर इस दोहरी कर व्यवस्था को समाप्त किया जाकर इन वस्तुओं पर वैट दर 15 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): 000

271. इसी प्रकार कुछ अन्य वस्तुएं यथा एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, मिनरल वाटर आदि पर भी 14 प्रतिशत वैट तथा 1 प्रतिशत प्रवेश कर दोनों देय है। अत: इन वस्तुओं पर भी दोहरी कर व्यवस्था को समाप्त किया जाकर वैट दर 15 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है। ...(व्यवधान)... अभी आपकी समझ में नहीं आ रहा है यह बाद में आएगा।

272. मैं आशा करता हूं कि प्रक्रियाओं के सरलीकरण के इन प्रस्तावों का उद्योग एवं व्यापार जगत स्वागत करेगा। साथ ही इन प्रयासों से राज्य में निवेश का वातावरण और अधिक आकर्षक बनेगा तथा नये निवेशक राज्य में अधिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

कर दरों में राहत

273. अध्यक्ष महोदय, अब मैं कर दरों में राहत के प्रस्ताव आपकी अनुमति से सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं।

274. राज्य के पशुपालकों को राहत देने के उद्देश्य से, मैं, पशु आहार में प्रयोग लिये जाने हेतु मोलेसेस की खरीद करने वाले पशु आहार उत्पादकों के लिए मोलेसेस की कर दर 20 प्रतिशत से घटा कर 5 प्रतिशत करना प्रस्तावित करता हूं।

आप हर बात में सहमति व्यक्त करते हो इसीलिए आप लोग यहां नहीं आ पाये हो वहीं बैठे रह गये। कभी-कभी तो विरोध व्यक्त किया करो मेरी हर बात में आप सहमति व्यक्त कर देते हो । इस कारण से आप वहां से यहां नहीं आ पाये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): 000

275. राज्य के सहकारिता क्षेत्र में कार्यरत दुग्ध उत्पादक समितियों को राहत देने के उद्देश्य से मैं उनके द्वारा दूध की जांच में प्रयुक्त इलेक्ट्रोनिक मिल्क टेस्टर एवं इसके पार्ट्स पर कर दर 14 प्रतिशत से घटा कर 5 प्रतिशत करना प्रस्तावित करता हूं।

276. यूएचटी मिल्क विशेष रूप से ट्रीट किये जाने के कारण लंबे समय तक उपयोगी रहता है। मैं इस दूध पर लागू 5 प्रतिशत कर दर को समाप्त कर इसे ताजा दूध के समान कर मुक्त करने की घोषणा करता हूं।

277. वर्तमान में वैल्डिंग होल्डर, वैल्डिंग ग्लास व वैल्डिंग मशीन पर कर दर 14 प्रतिशत है। राज्य के कामगारों को राहत देने के उद्देश्य से मैं, इन पर कर दर 14 प्रतिशत से घटा कर 5 प्रतिशत करना प्रस्तावित करता हूं।

278. राज्य के जेम्स स्टोन कटिंग एवं पॉलिसिंग उद्योग में कार्यरत कारीगरों को राहत देने के उद्देश्य से उनके द्वारा प्रयोग में लिये जा रहे सिंथेटिक इंडस्ट्रियल डायमंड पाउडर तथा जेम्स स्टोन कटिंग एवं पॉलिसिंग टूल्स पर मैं, वर्तमान कर दर 14 प्रतिशत को घटा कर 5 प्रतिशत करने की घोषणा करता हूं। इससे राज्य के हजारों कारीगर लाभान्वित होंगे।

श्री सुखराम (बसेड़ी): 000

279. राज्य के हस्तनिर्मित ऊनी गलीचे व नमदे विदेशों तक प्रसिद्ध हैं। हस्तनिर्मित ऊनी गलीचों को करमुक्त करने की मांग की गयी है। अत: राज्य के दस्तकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मैं हस्तनिर्मित ऊनी गलीचों, नमदा व हाथ से कती हुई ऊन को करमुक्त किये जाने की घोषणा करता हूं।

280. जयपुरी रजाइयां देश भर में राज्य की पहचान बन चुकी है। वर्तमान में 750 रुपये मूल्य तक की ही रजाइयां करमुक्त हैं तथा इससे अधिक मूल्य की रजाइयों पर 14 प्रतिशत की दर से कर देय है। रज़ाई उद्योग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, मैं सभी मूल्यों की रजाइयों को पूर्ण रूप से करमुक्त करने की घोषणा करता हूं।

281. एस.एस. शीट्स एवं सर्किल्स विनिर्माता इकाइयों पर निर्मित माल मुख्यत: अन्तरराज्यीय कारोबार में बिकता है। इन वस्तुओं पर राज्य में विक्रय कर पर कर दर 4 प्रतिशत है तथा अन्तरराज्यीय विक्रय कर पर कर दर आधा प्रतिशत है। इस उद्योग की मांग पर एवं अनके अन्तरराज्यीय विक्रय को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एस.एस. शीट्स एवं सर्किल्स पर वैट की वर्तमान दर 4 प्रतिशत से घटा कर 1 प्रतिशत तथा केन्द्रीय बिकी कर की दर आधा प्रतिशत से बढ़ा कर 1 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

282. उद्योग जगत की मांग पर लाइम स्टोन एवं बेकरी यीस्ट पर कर दर 14 प्रतिशत से 5 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

283. राज्य में गर्मी का विशेष प्रकोप रहता है। इससे बचाव हेतु लोहे की बॉडी से बने डेजर्ट कूलर्स का सामान्यत: घर-घर में प्रयोग किया जाता है। अत: जनसामान्य को राहत प्रदान करने हेतु इनकी कर दर 14 प्रतिशत से घटा कर 5 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

284. राज्य के लूज स्प्रिंग लीव्ज के व्यापारियों द्वारा मांग की गयी है कि पड़ोसी राज्यों में विभिन्न निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में कर दर कम होने के कारण उनके व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे व्यापारियों को राहत देने के उद्देश्य से लूज स्पिंग लीव्ज पर वर्तमान कर दर 14 प्रतिशत को घटा कर 5 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

285. राज्य में खादी उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अथवा आयोग में पंजीकृत इकइयों की कर से छूट हेतु वर्तमान टर्नओवर सीमा 1 करोड़ रुपये को बढ़ा कर 2 करोड़ रुपये किया जाना प्रस्तावित है।

286. वर्तमान में ऐसे ऑयल बेस्ड वाशिंग सोप जिनकी एमआरपी 50 रुपये प्रति किलोग्राम से कम है, पर कर दर 5 प्रतिशत है। साबुन उद्योग द्वारा कच्चे माल की लागत पर बढ़ोतरी होने के कारण मांग की गई है कि इस एमआरपी में वृद्धि की जाए। उद्योग जगत की मांग को मानते हुए मैं, इस 50 रुपये प्रति किलोग्राम की सीमा को बढ़ा कर 60 रुपये प्रति किलोग्राम करना प्रस्तावित करता हूं।

287. गत वर्ष मैंने बिजली की बचत के उद्देश्य से सीएफएल बल्ब पर वैट की दर में राहत प्रदान की थी। इसी क्रम में मैं, बिजली बचाने वाली नवीन तकनीक आधारित एलईडी लैम्प्स पर भी वैट की दर 14 प्रतिशत से घटा कर 5 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित करता हूं।

श्री ओम बिरला (संसदीय सचिव): 000

288. राजस्थान के नागरिक पानी की कीमत समझते हैं तथा इसे सहेज कर रखते हैं। प्लास्टिक की टंकियां पानी को सहेजने के माध्यम के रूप में आज प्रत्येक घर की आवश्यकता बन चुकी है। अत: मैं, इन प्लास्टिक वाटर स्टोरेज टैंक पर देय कर दर 14 प्रतिशत को घटा कर 5 प्रतिशत करना प्रस्तावित करता हूं।

289. वर्तमान में 200 रुपये तक के स्कूल बैग कर मुक्त हैं तथा इससे अधिक मूल्य के स्कूल बैग पर 14 प्रतिशत कर देय है। अब मैं 500 रुपये तक के स्कूल बैग को करमुक्त करने की घोषणा करता हूं।

290. धार्मिक संस्थानों द्वारा संचालित भोजनशालाओं को करमुक्त करने की मांग की जा रही है। इसे उचित मानते हुए मैं, ऐसी भोजनशालाओं के साथ-साथ, चेरीटेबल संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे भोजन को भी करमुक्त करने की घोषणा करता हूं।

291. अध्यक्ष महोदय, मैंने गत वर्ष तीन सितारा से कम स्तर एवं अवर्गीकृत होटल तथा रेस्टोरेंट्स को कर दर में राहत दी थी। इसी क्रम में, मैं आउटडोर केटरर्स को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से उनके द्वारा परोसे जा रहे भोजन पर कर दर 14 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने की घोषणा करता हूं।

292. राज्य में आर्मी कैंटीन (सीएसडी) एवं बीएसएफ संचालित कैंटीन को कर में छूट है। इसी क्रम में, मैं सीआरपीएफ व सीआईएसएफ संचालित कैंटीन को भी सीएसडी के अनुरूप कर में छूट दिया जाना प्रस्तावित करता हूं।

कैलाश/चौहान 9.03.2011 13.20 (1) 1p

293. वर्तमान में फलों और सब्जियों का कारोबार किसानों के लिये लाभदायक बन रहा है। राज्य की कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय प्रोत्साहन नीति, 2010 के अंतर्गत भी ताजा

फल सब्जियों की रिटेल चयन की स्थापना को प्रोत्साहित किया गया है। अत: मैं ताजा फलों और सब्जियों को बिना शर्त पूर्ण रूप से कर मुक्त करने की घोषणा करता हूं।

294. अध्यक्ष महोदय, वैट लागू होने के पश्चात से ही दलहनों पर एक प्रतिशत की दर से कर देय है तथा वर्तमान में यह दर 31 मार्च, 2011 तक अधिसूचित है। राज्य के आम नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए मैं, सभी प्रकार की दालों को कर मुक्त करने की घोषणा करता हूं। इस छूट से राज्य कोष पर लगभग 35 करोड रुपये का भार पडेगा।

295. अध्यक्ष महोदय, हमने राज्य के नागरिकों के लिये मुख्य मंत्री अन्न सुरक्षा योजना लागू की है। मैंने अभी भाग प्रथम में घोषणा की है कि इस योजना के अंतर्गत 40 लाख बीपीएल परिवारों को प्रतिमाह 25 किलो गेहूं का दो रुपये प्रति किलों की दर से वितरण किया जायेगा। इन परिवारों के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी राज्य के समस्त नागरिकों के प्रति भी है। मेरी सरकार राज्य के समस्त नागरिकों को दाल और रोटी कम कीमत पर उपलब्ध कराने के लिये कृत संकल्प है। इस संकल्प की पूर्ति के प्रथम चरण में मैंने अभी दालों को कर मुक्त करने की घोषणा की है तथा इसी क्रम में मैं, अब गेहूं को भी कर मुक्त करने की घोषणा करता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): 000

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): 000

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): आपको तो खुश होना चाहिये ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 000

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): आपको तो खुश होना चाहिये, दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, बिना मतलब ही हल्ला कर रहे हो। इतना बड़ा फैसला किया है हमने आप उसको भी पचा नहीं पा रहे हो। आगे सुनो अभी। मैं आशा करता हूं कि इस छूट से राज्य के नागरिकों के भोजन पर होने वाले खर्च में कमी होगी।

296. अध्यक्ष महोदय, दाल और रोटी के साथ दाल और चावल भी भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अत: मैं चावल को भी कर मुक्त करने की घोषणा करता हूं। ...(व्यवधान)... डाइजेशन अच्छा हो जायेगा।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): 000

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, गेहूं व चावल पर ...(व्यवधान)... ओम शांति ओम वहां जाओ। अध्यक्ष महोदय, गेहूं व चावल पर छूट से राज्य कोष पर लगभग 140 करोड रुपये का भार पडेगा।

297. आम उपभोक्ताओं द्वारा प्रयुक्त केरोसिन को पीडीएस के माध्यम से बेचे जाने पर कर दर 5 प्रतिशत है। इस वर्ग को राहत प्रदान करते हुए मैं पीडीएस के माध्यम से बेचे जाने वाले केरोसिन को भी कर मुक्त करने की घोषणा करता हूं। इस से राजकोष पर 30 करोड रुपये से अधिक का भार पडेगा।

298. दैनिक जीवन में काम आने वाली विभिन्न वस्तुएं जो वैट लागू होने पर कर के दायरे में आ गई है, को पुन: कर मुक्त करने के संबंध में व्यापारिक संगठनों द्वारा मांग की गई है। अत: मैं, राज्य की गृहणियों की रोजमर्रा की वस्तुएं यथा चकला, बेलन, गैस लाईटर, चिमटा, इमामदस्ता ...(व्यवधान)... आप तो खुश होओ, आप तो बैठ जाओ, मूसली, झर, छलनी, मुल्तानी मिट्टी आदि वस्तुओं को कर मुक्त करना प्रस्तावित करता हूं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: कृपया व्यवस्था बनाये रखें।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): 299. वर्तमान में टीवी घर घर की जरूरत बन चुका है। डीटीएच एवं केबल टीवी के माध्यम से घर घर में पुरुष, महिलाएं एवं बच्चे समाचार, सिनेमा, खेल, कार्टून आदि देख रहे हैं। राज्य के नागरिकों को स्वस्थ मनोरंजन कम कीमत पर उपलब्ध हो सके इस हेतु मैं डीटीएच एवं केबल टीवी को मनोरंजन कर से मुक्त करने की घोषणा करता हूं।

300. अध्यक्ष महोदय, सिनेमा उद्योग द्वारा मनोरंजन कर से छूट की मांग की गई है। वर्तमान में इस उद्योग पर 30 प्रतिशत की दर से मनोरंजन कर देय है। मैं सिनेमा उद्योग की मांग पर इन्हें मनोरंजन कर से पूर्ण छूट प्रदान करता हूं। मनोरंजन कर में इन छूटों से राज्य कोष पर लगभग 25 करोड रुपये का भार पडेगा।

301. मैं एक लाख तक की आबादी वाले शहरों में स्थित सिनेमा घरों पर अधिरोपित नगरीय विकास कर में 50 प्रतिशत छूट प्रस्तावित करता हूं। मैं आशा करता हूं कि इन प्रस्तावों से सिनेमा उद्योग को राहत मिलेगी।

302. अध्यक्ष महोदय, मेरे इन प्रस्तावों से 250 करोड रुपये से अधिक की राहत दी गई है।

प्रशासनिक सुदृढीकरण

303. अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा जीएसटी को लागू करने की दिशा में इसी लोकसभा सत्र में संविधान संशोधन विधेयक लाया जाना प्रस्तावित है। जीएसटी एक नवीन व्यवस्था है जिसमें सेवा कर के रूप में राज्य को नया कर भी मिलेगा। अत: इस दृष्टि से वाणिज्यिक कर विभाग के अधीन राज्य कर अकादमी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जो अधिकारियों की विशिष्ट प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी। इसके साथ ही प्रशासनिक तैयारी के रूप में विभाग में ACTO से उच्चतर पदों की संख्या में अपग्रेडेशन द्वारा 120 पदों की बढोतरी किया जाना प्रस्तावित है।

304. विभिन्न न्यायालयों में वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित प्रकरण लंबित है, जिनके आपसी समझौते से निराकरण करने की ठोस व्यवस्था हेतु मांग की जा रही है। अत: इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये मैं, टैक्स सैटलमेंट बोर्ड को क्रियाशील करने हेतु पुनर्गठित करना प्रस्तावित करता हूं। यह बोर्ड प्रभावी एवं निष्पक्ष रूप से कार्य कर सके, इस उद्देश्य से

इस बोर्ड के अध्यक्ष माननीय उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश होंगे। मैं आशा करता हूं कि इससे राज्य के व्यापारियों के लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण हो सकेगा।

पंजीयन एवं मुद्रांक

305. नवीन प्रौद्योगिकी के प्रयोग से ई-स्टांप जारी किया जाना समय की मांग है। ई-स्टांप सुरक्षित एवं टेम्पर प्रूफ दस्तावेज है। अत: प्रथम चरण में, मैं, राज्य के सभी 7 संभागीय मुख्यालयों पर ई-स्टांप जारी किये जाने की व्यवस्था को लागू किये जाने की घोषणा करता हूं।

306. अचल सम्पत्ति के विक्रय से संबंधित इकरारनामें जिनमें सम्पत्ति के कब्जे का अंकन है, का पंजीयन अनिवार्य है। सामान्यत: अचल सम्पत्ति के अन्य इकरारनामों के दस्तावेजों का पंजीयन नहीं कराया जा रहा है। पंजीयन नहीं होने से ऐसे दस्तावेज रिकार्ड पर नहीं आते हैं तथा सम्पत्ति विवाद व आम नागरिकों के साथ धोखाधडी की संभावनाएं बनी रहती है। इन विवादों तथा धोखाधडी पर अंकुश लगाने की दृष्टि से डवलपर एग्रीमेंट सहित अचल सम्पत्ति के विक्रय से संबंधित सभी प्रकार के इकरारनामों (AGREEMENT TO SALE) का पंजीचन अनिवार्य किया जाना प्रस्तावित है।

307. नजदीकी परिवारों के पक्ष में निष्पादित अचल सम्पत्ति की गिफ्ट डीड पर देय स्टांप ड्यूटी पर 50 प्रतिशत की छूट देय है। इन नजदीकी परिवारजनों में नाती व नातिन शामिल नहीं है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पुत्र व पुत्री में अंतर नहीं रहा है। अत: गिफ्ट डीड पर देय स्टांप ड्यूटी में छूट की परिधि में पूर्व में शामिल परिवारजनों के साथ नाती व नातिन के पक्ष में निष्पादित गिफ्ट डीड को भी शामिल किया जाना प्रस्तावित है।

308. अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2009-10 के बजट में मैंने स्टांप ड्यूटी की सामान्य दर 8 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की थी। इसी क्रम में मैं, बन्ध पत्रों पर स्टांप ड्यूटी की दर को 5 प्रतिशत से घटा कर 2 प्रतिशत किये जाने की घोषणा करता हूं।

309. वर्तमान में राज्यों के किसानों को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत कृषि भूमि के विनियम एवं पैतृक कृषि भूमि के विभाजन के कतिपय दस्तावेजों पर स्टांप ड्यूटी की छूट है, परंतु इन दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क में छूट नहीं है। अत: इस वर्ग को राहत देने के उद्देश्य से मैं इन दस्तावेजों पर देय एक प्रतिशत पंजीयन शुल्क जो अधिकतम 50 हजार रुपये तक हो सकता है, से पूर्ण रूप से छूट दिये जाने की घोषणा करता हूं।

310. कई बार नगरीय क्षेत्र में डीएलसी द्वारा निर्धारित दरें नगर निगम, नगर विकास न्यास आदि संस्थाओं की आरक्षित दरों से कम निर्धारित हो जाती है। मेरी जानकारी में यह भी लाया गया है कि औद्योगिक, सांस्थानिक तथा पर्यटन प्रयोजनार्थ रूपांतरित भूमि की दरों के संबंध में स्पष्टतया व मानदण्डों का अभाव है। इनके समाधान के लिये स्पष्ट प्रावधान किये जाने प्रस्तावित है।

311. अध्यक्ष महोदय, राज्य के स्टांप वेंडर्स की मांग पर मैं, 400 रुपये अधिक के मूल्य के DENOMINATION वाले स्टांप के विक्रय पर देय DISCOUNT FEE जो वर्तमान

में प्रति 100 रुपये पर बीस पैसे से पचास पैसे है, को बढाकर, एक समान, एक रुपया किया जाना प्रस्तावित करता हूं। इससे राज्य पर लगभग 3 करोड रुपये से अधिक का वित्तीय भार पडेगा।

312. अचल सम्पत्तियों के विभिन्न प्रकार से हस्तांतरणों में लगातार वृद्धि हो रही है। वर्ष 2008-09 में जहां लगभग 9 लाख दस्तावेज पंजीकृत हुए हैं, वहीं वर्ष 2010-11 में लगभग 12 लाख से अधिक दस्तावेज पंजीकृत होने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त बडी संख्या में गैर पंजीयन श्रेणी के दस्तावेज भी लिखे जाते हैं, जिसके लिये स्टांप वेंडर्स व डीड राइटर्स की संख्या बढाने की भी आवश्यकता है। अत: मैं घोषणा करता हूं कि आगामी वर्ष में एक हजार स्टांप वेंडर्स व एक हजार डीड राइटर्स के नवीन अनुज्ञा पत्र दिये जायेंगे। इससे आमजन को स्टांप्स प्राप्त करने एवं अपने दस्तावेज लिखवाने की बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी।

313 राज्य के नागरिकों की अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु समस्त उप पंजीयक एवं उप महानिरीक्षक कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत एवं विभाग में एक अतिरिक्त महानिरीक्षक सहित दो सौ नए पदों का सृजन, किया जाना प्रस्तावित है।

परिवहन

314. राज्य के किसानों के हित में, मैं कृषि ट्रेक्टरों एवं कम्बाईन हार्वेस्टर को मोटर वाहन कर की अदायगी से पूर्णतया मुक्त करने की घोषणा करता हूं। इससे राज्य कोष पर लगभग चार करोड़ रुपये का भार पड़ेगा।

315. ग्रामीण क्षेत्रों में प्राय: स्टेज कैरिज वाहन स्वामियों द्वारा पुरानी बसों का संचालन किया जाता है। ग्रामीण एवं अन्य श्रेणी के मार्गों पर नई बसों के संचालन को बढ़ावा देने के लिए, मैं ऐसे मार्गों पर संचालित नई पंजीकृत स्टेज कैरिज बसों को, पंजीयन की दिनांक से दो वर्ष की अवधि के लिए, विशेष पथ कर में शत-प्रतिशत छुट दिए जाने की घोषणा करता हूं।

316. राज्य सरकार नागरिकों को सुव्यवस्थित व सुरक्षित परिवहन की आधुनिक एवं आधारभूत सुविधाएं सुलभ कराने तथा पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण संबंधी गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु प्रतिबद्ध है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति एवं केन्द्र सरकार के जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय अरबन रिन्युअल मिशन की शर्तों की पूर्ति के उद्देश्य से मैं, राजस्थान ट्रांसपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमैंट फंड की स्थापना की घोषणा करता हूं।

317. इस फंड के लिए मैं राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत देय समस्त प्रकार के एक बारीय अथवा एकमुश्त कर पर 10 प्रतिशत एवं अन्य प्रकार के देय करों पर 5 प्रतिशत अधिभार लगाया जाना प्रस्तावित करता हूं। इस अधिभार से तीन लाख रुपये तक की कीमत वाले वाहनों को मुक्त रखा जाना प्रस्तावित है। इस अधिभार से लगभग पचास करोड़ रुपये की अतिरिक्त राजस्व आय अनुमानित है।

318. नवीन वाहनों की संख्या में हो रही लगातार वृद्धि के कारण वाहन जनित प्रदूषण बढ रहा है। प्रदूषण नियंत्रित करने के उपायों के प्रयोजनार्थ, पुराने वाहनों के अतिरिक्त नवीन वाहनों पर भी ग्रीन टैक्स अधिरोपित किया जाना प्रस्तावित है। इस ग्रीन टैक्स से लगभग 25 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राजस्व आय अनुमानित है।

पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों का वित्तीय सशक्तीकरण

319. अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रथम भाग में स्थानीय निकायों के वित्तीय सशक्तीकरण हेतु इन्हें राशि हस्तांतरित करने की घोषणा की थी। इस राशि के लिए कुछ अतिरिक्त संसाधन जुटाए जाने आवश्यक है। यद्‌यपि राजस्थान पंचायती राज एवं नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत स्टाम्प ड्‌यूटी पर अधिभार अधिरोपित करने के संबंध में प्रावधान विद्‌यमान है, परन्तु इन प्रावधानों की क्रियान्विति नहीं हो पा रही है। अत: इस प्रयोजनार्थ एवं आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु अतिरिक्त संसाधन, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम के अन्तर्गत देय स्टाम्प ड्‌यूटी पर, 10 प्रतिशत की दर से सरचार्ज लगाकर जुटाये जाने प्रस्तावित है। इस हेतु स्टाम्प अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित है। इससे लगभग 145 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राजस्व आय अनुमानित है।

320. इसी क्रम में, नगरीय निकायों को वित्तीय रूप से और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता को देखते हुए, प्रति माह सौ यूनिट से अधिक बिजली का उपभोग करने वाले शहरी उपभोक्ताओं पर वर्तमान में लागू नगरीय उपकर को प्रति यूनिट पाँच पैसा बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। ...(व्यवधान)...

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): 000

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): इससे लगभग सिर्फ पचास करोड़ रुपये की अतिरिक्त राजस्व आय अनुमानित है। 50 करोड ही आयेगा।

अतिरिक्त कर प्रस्ताव

321. एवियेशन टरबाईन फ्यूल पर कर दर 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।सिविल एवियेशन में भी, हवाई जहाजों के लिये डोंड वरी, पहले 28 परसेंट था, इससे लगभग 20 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राजस्व आय अनुमानित है।

322. राज्य औद्‌योगिक विकास के पथ पर अग्रसर है। भूमि अधिग्रहण के मामले बढ़ रहे हैं। काश्तकारों को अधिग्रहित भूमि का उचित मुआवजा दिलाने एवं भूमि संबंधी ऋण प्राप्त करने के संबंध में डीएलसी दर का महत्वपूर्ण स्थान है। अत: सभी प्रकार की भूमि की डीएलसी दरों में 15 प्रतिशत बढ़ोतरी किया जाना प्रस्तावित है। इससे लगभग 175 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राजस्व आय अनुमानित है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): 000

दुर्गा/चौहान 09.03.2011 1340 2a

श्री अध्यक्ष: कृपया व्यवस्था बनाए रखें।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): 323. अध्यक्ष महोदय, राज्य के नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। सभी माननीय सदस्य तम्बाकू उत्पादों के सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में भली-भांति अवगत हैं। जिन परिवारों में इन तम्बाकू जनित बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति होते हैं, उनकी भावनात्मक व आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए हमारा दायित्व है कि इन उत्पादों के सेवन को हतोत्साहित किया जाये। सदन के माननीय सदस्य मेरी इस बात से अवश्य ही सहमत होंगे।

324. इसी क्रम में मैं पान मसाला, तम्बाकू व तम्बाकू उत्पादों पर कर दर बढ़ाकर 40 प्रतिशत किये जाने के साथ, ऐसे कुछ उत्पादों पर देय कर प्रथम बिन्दु पर लिया जाना प्रस्तावित करता हूं। इन उत्पादों की कीमत बढ़ने से, मैं आशा करता हूं कि इनके उपयोग में कमी आयेगी तथा राज्य के नागरिक स्वस्थ रहेंगे।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): 000

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): 000

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 000

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): 000

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): 000

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): 325. इस प्रस्ताव से लगभग 360 करोड़ की अतिरिक्त आय सम्भावित है, परन्तु यहां मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव राजस्व अर्जन की दृष्टि से नहीं है। मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को दी जाने वाली CST Compensation की राशि में से तम्बाकू उत्पादों से प्राप्त कर राशि को घटाया जायेगा। अत: इन उत्पादों पर कर बढ़ाने से होने वाली अतिरिक्त आय वास्तविक रूप में राज्य को प्राप्त नहीं होगी अपितु इस अनुपात में CST Compensation कम मिलेगा। अत: राज्य के नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ही मैंने इस कर दर में बढ़ोतरी प्रस्तावित की है।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): 000

श्री अध्यक्ष: विराजें, माननीय सदस्य, कृपया विराजें, माननीय सदस्य।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अब तो सुन लो।

326. इस प्रकार मेरे कर प्रस्ताव लगभग 500 करोड़ रुपये के हैं। जबकि मैंने 255 करोड़ रुपये से अधिक की करों में राहत दी है तथा मेरे द्वारा 195 करोड़ रुपये की राशि पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों को हस्तान्तरित किया जाना प्रस्तावित किया गया है एवं शेष राशि का अधिकतर भाग RTIDF को हस्तान्तरित किया जायेगा। इस प्रकार से मेरे कर प्रस्तावों से होने वाली आय आम आदमी को राहत देने एवं पंचायती राज

संस्थाओं, नगरीय निकायों के सशक्तिकरण तथा RTIDF के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये उपयोग में ली जायेगी।

327. इन प्रस्तावों के साथ ही कुछ अधिनियमों के प्रावधानों में संशोधन प्रस्तावित हैं, जिनके विस्तृत उद्देश्य एवं प्रयोजन वित्त विधेयक में वर्णित हैं।

वर्ष 2010-11 के संशोधित अनुमान:

328. वर्ष 2010-2011 के संशोधित अनुमानों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

1.राजस्व प्राप्तियां - 45 हजार 988 करोड़ 97 लाख रुपये

2.राजस्व व्यय - 46 हजार 877 करोड़ 92 लाख रुपये

3.राजस्व घाटा - 888 करोड़ 95 लाख रुपये

4.पूंजी खाते में प्राप्तियां (लोक लेखे की शुद्ध प्राप्तियों सहित) - 10 हजार 704 करोड़ 21 लाख रुपये

5.पूंजी खाते में व्यय - 10 हजार 212 करोड़ 37 लाख रुपये

6.पूंजी खाते में आधिक्य - 491 करोड़ 84 लाख रुपये

7.बजटीय घाटा - 397 करोड़ 11 लाख रुपये

8.राजकोषीय घाटा - 7 हजार 553 करोड़ एक लाख रुपये।

वर्ष 2011-12 के बजट अनुमान:

329. वर्ष 2011-12 के बजट अनुमानों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

1. राजस्व प्राप्तियां - 52 हजार 287 करोड़ 36 लाख रुपये

2. राजस्व व्यय - 51 हजार 934 करोड़ 74 लाख रुपये

3. राजस्व घाटा - 352 करोड़ 62 लाख रुपये

4 पूंजी खाते में प्राप्तियां (लोक लेखे की शुद्ध प्राप्तियों सहित) - 11 हजार 810 करोड़

61 लाख रुपये

5.पूंजी खाते में व्यय - 12 हजार 64 करोड़ 8 लाख रुपये

6.पूंजी खाते में घाटा - 253 करोड़ 47 लाख रुपये

7.बजटीय आधिक्य - 99 करोड़ 15 लाख रुपये

8.राजकोषीय घाटा - 8 हजार 63 करोड़ 47 लाख रुपये।

330. आगामी वर्ष का राजस्व आधिक्य कुल राजस्व प्राप्तियों का 0.67 प्रतिशत व राजकोषीय घाटा GSDP का 2.42 प्रतिशत रहना सम्भावित है।

331. मैं वर्ष 2011-12 का, वार्षिक वित्तीय विवरण, सभा पटल पर रख रहा हूं। साथ ही मैं राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 की अपेक्षानुसार मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति विवरण, राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण एवं

प्रकटीकरण विवरण, सभा पटल पर रख रहा हूं। अन्य बजट पत्रों के साथ अनुदान की मांगें भी प्रस्तुत की जा रही हैं।

332. तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों की पालना में स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट राज्य की विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु वित्त विधेयक के माध्यम से 'राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1954' में आवश्यक संशोधन करना प्रस्तावित है।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया आप विराजें।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): 333. अध्यक्ष महोदय, बजट लाक सेवाओं और सुशासन की बुनियाद पर खड़ी होने वाली जनाकांक्षाओं की अभिव्यक्ति है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा दिये गये पाँच सूत्री कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर केन्द्रीय बजट में घोषणा की गई है कि –

'भ्रष्टाचार के निपटने के उपायों पर विचार करने के लिये, एक मंत्री समूह गठित किया गया है। इस समूह को चुनाव में सरकारी धन लगाने, लोक सेवाओं के भ्रष्टाचार के मामलों पर शीघ्र कार्रवाई करने, सरकारी अधिप्राप्ति तथा ठेकों में पारदर्शिता, केन्द्रीय मंत्रियों की विवेकाधीन शक्तियों तथा प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिये प्रतिस्पर्धी प्रणाली से सम्बन्धित मुद्दों के समाधान का कार्य सौंपा गया है।'

334. आशा है कि यह समूह समय पर अपनी सिफारिशें देगा, जिसके अनुसार हमारी सरकार भी आगे बढ़ेगी। हालांकि इन्हीं भावनाओं के अनुरूप राज्य सरकार के मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों ने अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा वेबसाइट पर प्रस्तुत कर दिया है तथा मंत्रियों की विवेकाधीन शक्तियों को समाप्त कर दिया गया है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): 000

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): 000

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अब अन्त में मैं महात्मा गांधी द्वारा 22 अक्टूबर, 1925 को यंग इंडिया समाचार पत्र में प्रकाशित आलेख का उल्लेख करना चाहूंगा जिसमें उन्होंने समाज में व्याप्त निम्न 'सात पाप' से दूर रहने का संदेश दिया था:-

सिद्धान्त विहीन राजनीति Politics without Principle

श्रम विहीन सम्पत्ति Wealth without Work

विवेक विहीन भोग विलास Pleasure without Conscience

चरित्र विहीन शिक्षा Knowledge without Character

नैतिकता विहीन व्यापार Commerce without Morality

मानवीयता विहीन विज्ञान और Science without Humanity

त्याग विहीन पूजा Worship without Humanity

336. मेरा मानना है कि जनहित में प्रत्येक नागरिक को, विशेष रूप से हम सभी लोक सेवकों को, अपने मानस में उपरोक्त भावना अपनाने के लिये संकल्प लेना चाहिए।

337. इन्हीं भावनाओं के साथ, मैं बजट प्रस्तावों को स्वीकृत करने की संस्तुति के साथ माननीय सदन के विचारार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता हूं।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): 000

श्री अध्यक्ष: श्री अशोक गहलोत, मुख्य मंत्री, राजस्थान राज्य के आय-व्ययक अनुमान, वर्ष 2011-12 का उप-स्थापन करेंगे तथा संशोधन सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान राज्य के आय-व्ययक अनुमान, 2011-12 का उप-स्थापन करता हूं तथा सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: पुर:स्थापित किया जाने वाला विधेयक, श्री अशोक गहलोत।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान वित्त विधेयक, 2011

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान वित्त विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान वित्त विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: सदन की बैठक गुरुवार दिनांक 10 मार्च, 2011 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.50 बजे गुरुवार, 10 मार्च, 2011 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)